

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोजगार विभाग



वार्षिक

प्रशासनिक रिपोर्ट

2014—2015

विशय सूचि

पृष्ठ

1. अध्याय-1 परिचय	1
2.. अध्याय-2 संगठनात्मक ढांचा	1-5
3. अध्याय-3 श्रम तथा श्रम कल्याण	6-17
4. अध्याय-4 रोज़गार खण्ड	18-26
5. बजट/वास्तविक खर्च वर्ष 2014-15	26-27
6. सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अर्न्तगत अधिसूचना दिनांक 10-4-2007	28-33
7. सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत 28 अप्रैल,2014 की स्थिति दर्शाती विभागीय ए0पी0आई0ओ0,पी0आई0ओ0 व एपीलेट अथोरिटी का विवरण	34-43

श्रम एवं रोज़गार विभाग की वित्त वर्ष 2013–2014 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय—1

परिचय

श्रम एवं रोज़गार विभाग, वर्ष 1972 से एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया है—तब से हिमाचल प्रदेश के मित्रतापूर्ण, परिश्रमी एवं आषावादी लोगों की सेवा में दृढ़ संकल्प होकर कार्य कर रहा है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग में मुख्यतः तीन खण्ड—श्रम व कारखाना एवं रोज़गार है। श्रम खण्ड का मुख्य कार्य, श्रम कानूनों, जिनकी संख्या 29 (केन्द्रीय एवं राज्य) है, को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना तथा नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के मध्य शांतिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने में योगदान करना है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच मामलों को पीघता से निपटाने हेतु स्थापित दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरणों में दो पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी कार्यरत हैं, जिनका मुख्यालय षिमला व धर्मशाला में स्थित है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मुख्यतः कारखानों का पंजीकरण, नवीनीकरण तथा उनमें कार्यरत कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जाता है।

रोज़गार खण्ड का मुख्य कार्य हिमाचल प्रदेश में रोज़गार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का रोज़गार कार्यालय में पंजीकरण, मार्गदर्शन तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के समक्ष नाम सम्प्रेषित करना एवं मार्गदर्शन देना इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम 1960 को लागू करना तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से रोज़गार के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा तथा वर्ष 2013–2014 में इस विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा, बजट विवरण एवं सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित सूचना इस प्रशासनिक रिपोर्ट के अगले भागों में दी गयी है।

अध्याय—2

श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा

2013–14 में श्रम एवं रोज़गार विभाग ने माननीय उद्योग श्रम एवं रोज़गार मंत्री की देख रेख में कार्य किया जो इस विभाग के प्रभारी मन्त्री हैं। सरकार स्तर पर सचिवालय में प्रधान सचिव (श्रम एवं रोज़गार) तथा अवर सचिव (श्रम एवं रोज़गार) द्वारा सहयोग दिया गया।

श्रम एवं रोज़गार विभाग के निदेशालय स्तर पर श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार “विभागाध्यक्ष” के रूप में कार्यरत हैं।

निदेशालय स्तर पर विभाग मुख्यतः तीन भागों में विभाजित है:—

1.(क)निदेशालय स्तर पर श्रम खण्ड का कार्य श्रमायुक्त की देखरेख में संयुक्त श्रमायुक्त एवं उप-श्रमायुक्त द्वारा संचालित किया जाता है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत श्रमायुक्त को "मुख्य कारखाना निरीक्षक" घोषित किया गया है तथा संयुक्त-श्रमायुक्त "अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक" एवं उप-श्रमायुक्त "उप मुख्य कारखाना निरीक्षक" घोषित किये गये हैं।

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 को कार्यान्वित करने के लिये दो उप निदेशक कारखाना के पद सृजित हैं जिनमें से एक षिमला में तथा एक ऊना में स्वीकृत है। एक पद सहायक निदेशक ;कारखानाद्ध रसायन का रिक्त है।

इन का कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार से विभाजित है:—

1. उप निदेशक कारखाना-षिमला

जिला-षिमला, किन्नौर, बिलासपुर, सोलन (बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ के औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर)।

2. उप निदेशक कारखाना, ऊना

जिला-कांगडा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, मण्डी, कुल्लू, लाहौल-स्पीति व सिरमौर तथा बद्दी, बरोटीवाला तथा नालागढ का औद्योगिक क्षेत्र।

उप निदेशक ;कारखानाद्ध, षिमला, निदेशालय का कार्य जो कि कारखाना खण्ड से सम्बन्धित है, भी देख रहे हैं।

(ग) इसी प्रकार निदेशालय स्तर पर रोजगार से सम्बन्धित कार्य-कलापों के लिये निदेशक रोजगार की देख रेख में उप-निदेशक रोजगार, रोजगार तथा रोजगार अधिकारी (केन्द्रीय रोजगार कक्ष) कार्यरत रहे हैं जो कि रोजगार षाखा, राज्य व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम, अपंगो हेतु विशेष रोजगार कक्ष, कौशल विकास भत्ता योजना षाखा तथा केन्द्रीय रोजगार कक्ष के कार्यों की देखरेख करते हैं।

2. श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों का विवरण:

(क) श्रम कानूनों को लागू करने के लिये 12 श्रम अधिकारी तथा 33 श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं। श्रम अधिकारी तथा उनके कार्यक्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है:—

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. श्रम अधिकारी, षिमला | उप-मण्डल षिमला (षहरी एवं ग्रामीण), उप मण्डल चौपाल एवं ठियोग तहसील |
| 2. श्रम अधिकारी, रामपुर | रामपुर, रोहडू तथा डोडरा-क्वार उप-मण्डल तथा कुमारसैन तहसील जिला षिमला तथा उप-मण्डल आनी जिला कुल्लू |
| 3. श्रम अधिकारी, सोलन | उप-मण्डल सोलन, कण्डाघाट, अर्की तथा कसौली तहसील (बद्दी-बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर) |
| 4. श्रम अधिकारी, बद्दी | तहसील नालागढ तथा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला |
| 5. श्रम अधिकारी, नाहन | जिला सिरमौर |
| 6. श्रम अधिकारी, मण्डी | जिला मण्डी |
| 7. श्रम अधिकारी, कुल्लू | जिला कुल्लू, ;उप-मण्डल आनी को छोड़करद्ध उदयपुर तथा केलांग उप-मण्डल |
| 8. श्रम अधिकारी, किन्नौर | जिला किन्नौर व उप मण्डल काजा |

9. श्रम अधिकारी, धर्मषाला	जिला कांगडा
10. श्रम अधिकारी, चम्बा	जिला चम्बा
11. श्रम अधिकारी, बिलासपुर	जिला बिलासपुर एवं हमीरपुर
12. श्रम अधिकारी, ऊना	जिला ऊना

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत प्रदेश को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। इनमें से एक खण्ड का मुख्यालय षिमला में स्थापित है जबकि दूसरे खण्ड का मुख्यालय ऊना में स्थापित है।

(ग) रोज़गार खण्ड में 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, 9 जिला रोज़गार कार्यालय तथा 55 उप-रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्न है :-

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अधीनस्थ कार्यालय का विवरण
1.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, षिमला	कुमारसैन, मषोबरा, ठियोग, रामपुर-बुषैहर, रोहडू, जुब्बल, सुन्नी, चौपाल, चिड़गांव, डोडराक्वार तथा कुपवी
2.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, मण्डी	सुन्दरनगर, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, तथा गोहर
3.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, धर्मषाला	पालमपुर, ज्वाली, नुरपुर, लम्बागांव, नगरोटा सूरियों, बैजनाथ, इन्दौरा, बडोह, देहरा, फतेहपुर एवं डाडासीबा
4.	जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा	डलहौजी, भरमौर, पांगी, चुवाड़ी, तीसा एवं सलूणी स्थित सुन्दला
5.	जिला रोज़गार कार्यालय, हमीरपुर	नदौन, भौरंज, बडसर एवं सुजानपुर
6.	जिला रोज़गार कार्यालय, बिलासपुर	घुमारवीं एवं श्री नैना देवी जी
7.	जिला रोज़गार कार्यालय, कुल्लु	बंजार एवं आनी
8.	जिला रोज़गार कार्यालय, सोलन	नालागढ, अर्की एवं कसौली
9.	जिला रोज़गार कार्यालय, नाहन	पांवटा-साहिब, राजगढ, षिलाई, संगड़ाह, सराहां एवं कमराऊ
10.	जिला रोज़गार कार्यालय, केलोंग	काज़ा एवं उदयपुर
11.	जिला रोज़गार कार्यालय किन्नौर स्थित रिकांग पीओ	पूह एवं निचार
12.	जिला रोज़गार कार्यालय, ऊना	अम्ब
13.	सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र हि0 प्र0 विष्वविद्यालय, षिमला	इस कार्यालय के अधीन कोई कार्यालय नहीं है।
14.	सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र हि0 प्र0 विष्वविद्यालय, पालमपुर	—यथोपरि —

3. वर्ष 2014-2015 में श्रम एवं रोजगार विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/नियुक्ति तथा पदोन्नति का विवरण:

सेवानिवृत्तियों का ब्यौरा :

क्रमांक	श्रेणी	सेवानिवृत्त की संख्या
1.	प्रथम श्रेणी	1
2.	द्वितीय श्रेणी	3
3.	तृतीय श्रेणी	3
4.	चतुर्थ श्रेणी	2

नई नियुक्ति का ब्यौरा:

क्रमांक	पद	नियुक्त कर्मचारी की संख्या
1.	लिपिक अनुबन्ध व आश्रित आधार पर	1
2.	लिपिक अनुबन्ध आधार पर	2
3.	दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी व आश्रित आधार पर	1

पदोन्नतियों का ब्यौरा:

क्रमांक	पद	पदोन्नतियों की संख्या
1.	अधीक्षक ग्रेड-प्	6
2.	रोजगार अधिकारी	6
3.	वरिष्ठ सहायक	1
4.	वरिष्ठ आषुलिपिक	1

सुनिर्दिष्ट प्रगतिशील जीविका योजना के अर्न्तगत प्रवीणता वेतन वृद्धि दी गई:

क्रमांक	पद / श्रेणी	प्रवीणता वेतन वृद्धि की संख्या
1.	अधीक्षक ग्रेड-प् द्वितीय श्रेणी	12
2.1..	वरिष्ठ सहायक तृतीय श्रेणी	50
2.	श्रम निरीक्षक	23
3.	सांख्यिकीय सहायक	9
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
5.	लिपिक / कनिष्ठ सहायक	53
6.	चालक	3
3.1.	चपड़ासी चतुर्थ श्रेणी	50
2.	फ्राष	1
3.	चौकीदार	6

अनुबन्ध कर्मचारियों से नियमित किये गये कर्मचारी का ब्यौरा:

क्रमांक	नियुक्त कर्मचारी की संख्या	नियुक्त कर्मचारी की संख्या
1.	तृतीय श्रेणी	2
2.	चतुर्थ श्रेणी	6

4. श्रम एवं रोज़गार विभाग में सृजित एवं भरे हुये पदों का ब्यौरा:

श्रम एवं रोज़गार विभाग में कुल 411 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 31-3-2015 को 120 पद रिक्त है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार (भा.प्र.से.)	1	—
2.	पीठासीन अधिकारी	2	—
3.	संयुक्त श्रमायुक्त	1	—
4.	उप श्रमायुक्त	1	—
5.	उप निदेशक रोज़गार	1	1
6.	डप निदेशक कारखाना	2	—
6.	सहायक निदेशक कारखाना (रसायन)	1	1
7.	क्षेत्रीय रोज़गार अधिकारी	3	3
8.	जिला रोज़गार अधिकारी	10	—
9.	अधीक्षक ग्रेड-1	1	—
10.	श्रम अधिकारी	12	—
11.	रोज़गार अधिकारी	10	—
12.	विधि अधिकारी	1	—
13.	निजि सहायक	1	1
14.	अधीक्षक ग्रेड-८	12	—
15.	वरिष्ठ आषुलिपिक	2	1
16.	वरिष्ठ सहायक	62	13
17.	सांख्यिकीय सहायक	11	5
18.	श्रम निरीक्षक	33	1
19.	कम्प्यूटर ऑप्रेटर	1	—
20.	कनिष्ठ आषुलिपिक	1	—
21.	आषुटंकक	4	—
22.	चालक	5	—
23.	लिपिक / कनिष्ठ सहायक	128	61
24.	दफतरी	4	1
25.	चौकीदार	13	3

25.	चपड़ासी	83	25
27.	सफाई कर्मचारी	4	4
28.	फ्राष	1	—
	जोड़	411	120

अध्याय—3

श्रम तथा श्रम कल्याण

श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों को सुविधा के लिये दो खण्डों में विभाजित किया गया है। श्रम खण्ड में श्रमिकों के कल्याण और रोजगार खण्ड में रोजगार कार्यालयों की गतिविधियां हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:—

श्रम खण्ड

हिमाचल प्रदेश में श्रम खण्ड का कार्य, 26 केन्द्रीय तथा 2 राज्य श्रम अधिनियमों एवं नियम के प्रावधानोंको प्रदेश में लागू करना है। इन श्रम कानूनों में कारखानों, विभिन्न संस्थानों एवं विभिन्न निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के विस्तृत रूप में प्रावधान किये गये हैं। इन कारखानों/संस्थानों में औद्योगिक शान्ति, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध, गुणवत्ता, उत्पादकता को सुनिश्चित करने और इन क्षेत्रों में विकास/उन्नति सुनिश्चित करने के भी प्रावधान किये गये हैं। कामगारों को सक्षम सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन प्राप्त हो, बाल श्रमिक एवं बन्धुआ मजदूरी पर रोक लगे, इस सम्बन्ध में भी प्रावधान है। इन सबको सुनिश्चित करने के लिये श्रम विभाग के अधिकारी एवं निरीक्षक समय समय पर निरीक्षण करते हैं, अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सक्षम न्यायालयों में अभियोग चलाये जाते हैं। औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये कामगारों एवं संस्थान मालिकों/प्रबन्धकों के मध्य हस्तक्षेप करते हैं एवं उचित परामर्श देते हैं तथा जो भी शिकायतें विभिन्न स्तर पर प्राप्त होती हैं उनका निवारण भी करते हैं। श्रम खण्ड में ही कारखाना शाखा भी है जिसके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 एवं उसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों के अर्न्तगत कारखानों का पंजीकरण, नवीकरण और कामगारों की सुरक्षा, दुर्घटनायें रोकने और उनकी सेवा शर्तों का कार्यान्वयन, सुनिश्चित किया जाता है।

औद्योगिक सम्बन्ध तथा सामान्य श्रम स्थिति

औद्योगिक सम्बन्धों का विशय महत्वपूर्ण है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि तब तक पूर्ण रूप से नहीं हो सकती, जब तक मालिकों और श्रमिकों में सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध न हों। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्न्तगत समझौता व्यवस्था, औद्योगिक विवादों को रोकने तथा निपटाने में और औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण साधन है। 10 जिला मुख्यालयों पर स्थित श्रम अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रम अधिकारी (परियोजना) रामपुर बुधैहर और श्रम अधिकारी बद्दी को भी अपने-अपने क्षेत्र के लिये समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में जहां श्रम अधिकारी के पद सृजित नहीं हैं वहां पर जिला रोजगार अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जहां पर कामगारों की संख्या 200 या उससे कम हो, श्रम निरीक्षक भी समझौता अधिकारी के रूप में

औद्योगिक विवादों को निपटाने का कार्य करते हैं। जहां पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों का समझौता न हो पाये, वहां पर श्रम अधिकारी, उप-श्रमायुक्त/संयुक्त-श्रमायुक्त और श्रमायुक्त औद्योगिक विवादों को निपटाने में हस्तक्षेप करते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अर्न्तगत, जहां पर 100 या इससे अधिक कामगार कार्यरत हों, उन संस्थानों द्वारा वर्कस कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। यह वर्कस कमेटियों भी औद्योगिक शान्ति बनाने में सहायक सिद्ध होती है। इन कमेटियों में प्रबन्धकों और कामगारों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः वर्ष 2014-2015 में हिमाचल प्रदेश की श्रम स्थिति संतोशजनक रही है।

31.3.2015 तक श्रम खण्ड में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत कुल पंजीकृत संस्थानों की संख्या और उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	कामगारों की संख्या
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	4961	3,15,922
2.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज अधिनियम, 1961	126	7,745
3.	ट्रेड यूनियनज अधिनियम, 1926	1308	14,100
4.	बागान अधिनियम, 1951	17	225
5.	अर्न्तराज्य प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 (क) मुख्य नियोजक	104	15,511
	(ख) ठेकेदार	144	4,711
6.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (क) मुख्य नियोजक	1325	1,39,126
	(ख) ठेकेदार	7854	1,48,528
7.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना) 1948	6033	2,28,380
8.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	8877	11,54,726

सांख्यिकीय रचनायें

श्रम खण्ड की 31-3-2015 तक की उपलब्धियों/कार्यों का ब्यौरा नीचे दी गई तालिकाओं में वर्णित है।

विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों की उल्लंघना पाये जाने पर विभाग द्वारा सम्बन्धित न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में अभियोग दायर किये गये जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

तालिका-1

क्रमांक	अधिनियम का	1.4.2014 से	1.4.2014 से	1.4.2014 से	जुर्माने
---------	------------	-------------	-------------	-------------	----------

	नाम	31.3.2015 तक किये गये निरीक्षणों की संख्या	31.3.2015 तक न्यायालय में दायर किये गये चालानों की संख्या	31.3.2015 तक न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	की राशि (रुपये)
1	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969	8441	1803	1135	1556125
2	वेतन भुगतान अधिनियम,1936	3969	209	160	293500
3	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948	4,284	207	144	99,200
4	कारखाना अधिनियम,1948	1201	195	73	511500
5	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज़ अधिनियम,1961	78	6	0	0
6	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	1096	48	34	48500
7	समान वेतन अधिनियम, 1976	532	0	0	0
8	उपादान भुगतान अधिनियम,1972	1,148	6	4	46,000
9	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	1038	11	3	1500
10	प्रसूति लाभ अधिनियम,1961	708	2	1	200
11	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय आक्स्मक एवं बीमारी अवकाष) अधिनियम,1969	1241	12	3	400
12	अर्न्तराज्य प्रवासी सेवा कर्मकार अधिनियम,1979	170	17	1	3000
13	बाल श्रमिक (निशेद्ध एवं विनियम) अधिनियम,1986	3605	12	12	103000
14	औद्योगिक रोज़गार (स्थाई आदेश) अधिनियम,1946	532	0	0	0
15	भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार अधिनियम,1996	766	43	40	71550
16	चाय बागान अधिनियम,1951	6	0	0	0
	कुल	28521	2723	1692	2808575

तालिका-2

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पिछले अनिर्णित मामले	31.3.15 तक प्राप्त मामले	कुल मामलों की संख्या (खाना संख्या 3	31.3.15 तक निर्णित मामलों की संख्या	31.3.2015 को अनिर्णित मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जिनकी ऐपीलेंट आथोरिटी के पास अपील की गई
---------	----------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
उपादान अदायगी अधिनियम, 1972							
पद्ध नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा प्राप्त एवं निपटाये गये मामलों		97	90	187	104	83	2
पद्ध एपीलेट अथोरिटी द्वारा निपटाई गई अपीलों का ब्यौरा		34	15	49	18	21	10

तालिका-3

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

क्रमांक	31.3.2014 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या	1.4.2014 से 31.3.2015 तक प्राप्त मांग पत्रों की संख्या	कुल मांग पत्रों की संख्या ;खता संख्या 2 व 3 द्द	समझौते के दसैरान धारा 12 ;3द्व के तहत निपटाये गये मांग पत्र	विवादों/मसंग पत्रों की संख्या जो 12;4द्व के अधीन भेजे गये	31.3.2015 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या
1	750	1120	1870	736	598	536

तालिका-4

क्रमांक	अधिनियम का नाम
1	औद्योगिक रोज़गार ;स्टैंडिंग आरडरज़द्व अधिनियम, 1946
	अधिनियम के अर्न्तगत आने वाले संस्थान
	प्रमाणित स्टैंडिंग आरडरज़ की संख्या
	2368
	282

तालिका-5

दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969

अधिनियम के अधीन बाजारों की संख्या	31.3.2015 के अन्त में दुकानों की संख्या	कामगारों की संख्या	31.3.15 के अन्त में वाणिज्य संस्थानों की संख्या	31.3.15 के अन्त में कामगारों की संख्या	31.3.15 तक कुल संस्थानों की संख्या	31-3-2015 के अन्त में कुल कामगारों की संख्या
121	66470	29096	12184	23379	78654	52475

तालिका-6

विभिन्न अधिनियमों में प्राप्त शिकायतें

क्रमांक	अधिनियम का नाम	31.3.2014 को लम्बित शिकायतों की संख्या	1.4.2014 से 31.3. 015 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	योग ;खता संख्या 3 व 4 द्व	श्रम निरीक्षकों द्वारा निर्णित शिकायतों की संख्या	श्रम निरीक्षकों द्वारा भुगतान करवाई गई धनराशि में द्व	लाभान्वित कामगारों की संख्या	31.3.2015 को अनिर्णित मामलों की संख्या
1.	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	298	1145	1443	1078	7560016	1248	365
2.	हि०प्र० दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969	4	8	12	8	9000	4	4
3.	हि०प्र० लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों का विनियम	14	12	26	16	670050	78	10
4.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	0	3	3	3	96240	39	0

तालिका-7

कारखाना अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत दिनांक 1.4.2014 से 31.3.2015 तक किये गये कार्य का विवरण

31.3.2014 तक पंजीकृत कारखानों की संख्या	1.4.2013 से 31.3.2015 तक पंजीकृत नये कारखानों की संख्या	31.3.2015 को कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या	31.3.2015 को कुल पंजीकृत कारखानों में प्रस्तावित कामगारों की संख्या
1.	2.	3.	4.
4796	66	4861	315922

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर 31.3.2014 को 819 विवाद सन्दर्भ हेतु लम्बित थे। वित्त-वर्ष 2014-15 के दौरान 701 विवाद उक्त अधिनियम की धारा 12 ;4ख के अन्तर्गत निदेशालय में प्राप्त हुये, अतः कुल विवाद 1520 हो गये। इस वित्त वर्ष के दौरान 328 मामले विभिन्न श्रम न्यायालयों को निर्णय हेतु भेजे गये तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 ;5ख के अन्तर्गत 516 निरस्त किये गये तथा 31.3.2015 को 676 मामले पेश हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भिन्न-भिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये निम्नलिखित बोर्ड और समितियों का समय-समय पर गठन किया जाता है।

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बोर्ड/ समिति का नाम	गठन का उद्देश्य
1	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन/ निर्धारण बारे में सरकार को परामर्ष देना।
2	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	सलाहकार समिति	स्त्रियों को रोजगार के अवसरों तथा लिंग के आधार पर वेतन विसंगतियों को दूर करने बारे सरकार को परामर्ष देना।
3	श्रम टेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970	राज्य सलाहकार श्रम टेका बोर्ड	टेकेदारी वर्ग पद्धति पर जहाँ पर सम्भव हो सके, रोक लगाना, और जहाँ रोक लगाना सम्भव न हो, इस प्रथा का विनियम करना और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें सरकार को देना।
4	श्रम टेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970	राज्य टेका सलाहकार समिति	समिति द्वारा टेका उन्मूलन बारे जांच पड़ताल करना तथा इस सम्बन्ध में टेका सलाहकार बोर्ड को अपनी सिफारिशें देना।
5	(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना) 1948	क्षेत्रीय बोर्ड ई0 एस0 आई0	कर्मचारी बीमा एवं स्वास्थ्य/ पैन्शन योजनाओं को प्रदेश में कार्यन्वयन एवं विस्तार सम्बन्धी कार्य करना। क्षेत्रीय

			कर्मचारी राज्य बीमा बोर्ड का गठन हिमाचल प्रदेश में ई. एस. आई. स्कीम को सही रूप से लागू करने के उद्देश्य से किया गया है ताकि कामगारों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
	(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना)1948	स्थानीय समितियों	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का सुचारु रूप से संचालन तथा कार्यान्वयन एवं विस्तार सम्बन्धित कार्य करना।
6	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	क्षेत्रीय समिति ई० पी० एफ० हिमाचल प्रदेश	कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का सुचारु रूप से संचालन तथा कार्यान्वयन एवं विस्तार करने के लिये कार्यवाही करना।
7	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	क्षेत्रीय सलाहकार समिति	कामगारों को शिक्षा देने बारे।
9.	बन्धुआ मजदूर (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1976	जिला तथा सभी उप मण्डल स्तरों पर सर्तकता समितियाँ	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना, उन्मूलन/पुर्नवास सम्बन्धित कार्यवाही।
9.	बन्धुआ मजदूर (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1976	राज्य स्तरीय पड़ताल समिति (बन्धुआ मजदूरी)	बन्धुआ मजदूर प्रथा के सफलतापूर्ण उन्मूलन बारे।
10..	बाल श्रम (उन्मूलन एवं विनियम) अधिनियम,1986	राज्य स्तरीय समिति	बाल श्रम मजदूर प्रथा के सफलतापूर्ण उन्मूलन बारे।
11.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रैगुलेशन ऑफ एम्प्लायमेंट एण्ड कन्डिशन ऑफ सर्विस) एक्ट,1996 (रोज़गार सेवाओं का विनियम एवं सेवा शर्तें) अधिनियम,1986	राज्य स्तरीय बोर्ड	हि० प्र० भवन एवं सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों के कल्याण के लिये हि० प्र० भवन एवं सन्निर्माण कामगार बोर्ड का गठन किया गया है।

10. विद्युत परियोजनाओं में औद्योगिक षान्ति बनाये रखने के लिये गठित बोर्ड/समितियाँ

(क) राज्य स्तरीय त्रिपक्षीय जल विद्युत परियोजनाएँ बोर्ड/समिति	औद्योगिक षान्ति को सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्धकों व कामगारों में समन्वय स्थापित करना।
(ख) जिला स्तरीय त्रिपक्षीय जल विद्युत परियोजनाएँ बोर्ड/समिति	उक्त समिति विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के कामगारों की समस्याओं पर ध्यान देगी तथा परियोजनाओं के नियन्त्रण पर नजर रखेगी तथा इनको पूरा करवाना सुनिश्चित करेगी।
(ग) परियोजना स्तरीय त्रिपक्षीय जल विद्युत परियोजनाएँ बोर्ड/समिति	श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों/विवरणियों के सरलीकरण तथा कमी करने बारे।

न्यूनतम वेतन निर्धारण

न्यूनतम वेतन निर्धारण व पुर्ननिर्धारण, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का पुर्नगठन करती रही है। इसका उद्देश्य सरकार को विभिन्न व्यवसायों में न्यूनतम वेतन की दरों में निर्धारण एवं संशोधन करने में परामर्ष देना है। हिमाचल प्रदेश सरकार नें विभिन्न अधिसूचित व्यवसायों में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के वेतन में वित्तीय वर्ष 2014-15 में न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के परामर्ष के पश्चात समस्त अनुसूचित व्यवसायों में अकुषल श्रमिकों के वेतन की न्यूनतम दर 170/-रु० प्रतिदिन या रु० 5100/- प्रतिमाह प्रथम अप्रैल, 2014 से निर्धारित किया है जो कि पिछले न्यूनतम वेतन से क्रमशः 13.33 प्रतिशत अधिक है। अर्ध कुषल, कुषल तथा उच्च कुषल कामगारों के वेतन में भी (समान अनुपात) से बढ़ोतरी की गई जो कि दिनांक 01-04-2014 से लागू है, जिन अनुसूचित व्यवसायों में बढ़ोतरी की है वे निम्न प्रकार से हैं:-

1. कृषि
 2. सड़क और भवन निर्माण पत्थर पिसाई/क्रषिंग/पत्थर तुड़ान
 3. फौरेस्टरी एवं टिम्बरिंग आप्रेशन
 4. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट
 5. दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के व्यवसाय
 6. रसायन और रसायन उत्पाद
 7. इन्जीनियरिंग उद्योग
 8. चाय बागान
 9. विनिर्माण क्रिया में नियोजन जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड (क) में परिभाषित।
 10. होटल/रेस्टोरेंट
 11. निजि षेक्षणिक संस्थान
1. इसके अतिरिक्त सुरंग के अन्दर कार्यरत कामगारों को मजदूरी की न्यूनतम वेतन की दरों पर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय है।
 2. हिमाचल प्रदेश के गैर जन-जातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन जल-विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय है।
 3. हिमाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय है अगर निर्माणाधीन जल-विद्युत परियोजनाएं/जन जातीय क्षेत्र में हैंतो इसमें कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी देय है।
 4. महिला-पुरुष कामगारों को समान कार्य के लिये (व्यस्क या अव्यस्क) एक समान वेतन निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त सभी व्यवसाय में कार्यरत अकुषल कामगारों को न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने श्रम खण्ड के अधिकारियों एवं निरीक्षकों के अतिरिक्त समस्त तहसीलदारों (महाल) एवं जिला रोजगार अधिकारियों को तथा सांख्यिकीय सहायक ,श्रमद्ध को भी

“निरीक्षक” नियुक्त किया है यदि निरीक्षक स्तर पर न्यूनतम वेतन एवं वेतन भुगतान सम्बन्धी षिकायतों का समय पर निपटारा नहीं होता है तो सरकार ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों /सिविल न्यायधीषों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 तथा वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अन्तर्गत सुनवाई करने और निर्णय करने के लिये प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि वे न्यूनतम वेतन सम्बन्धी वेतन दावों का निपटारा कर सकें।

बन्धुआ मजदूरों के पुर्नवास के लिये योजना:

बन्धुआ मजदूर के पुर्नवास के लिये योजना बनाई गई है। बन्धुआ मजदूर अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत सभी जिला तथा उप मण्डल स्तर पर बन्धुआ मजदूरी से सम्बन्धित षिकायतों का निपटारा करने के लिये सर्तकता समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किसी भी जिले में अभी तक बन्धुआ मजदूर का कोई भी मामला नहीं पाया गया है। बन्धुआ मजदूरों के बारे में षिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जाँच करवाई गई लेकिन ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया जो बन्धुआ मजदूर की परिभाषा में आता हो।

बाल श्रमिकों का उन्मूलन कार्यक्रम :

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के उन्मूलन के लिये प्रदेश के 10 अन्य विभागों के अधिकारियों को बाल श्रमिक अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत निरीक्षक की षक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	टधिकारी का नाम/पद	विभाग का नाम
1.	समस्त उप-मण्डल अधिकारी, हि0प्र0	राजस्व
2.	आयुक्त, नगर निगम, षिमला	स्थानीय निकाय
3.	समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हि0प्र0	ग्रामीण विकास व पंचायती राज
4.	समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार, हि0प्र0	राजस्व
5.	समस्त महा-प्रबन्धक/ प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हि0प्र0	उद्योग
6.	समस्त श्रम अधिकारी, हि0प्र0	श्रम एवं रोजगार
7.	समस्त जिला रोजगार अधिकारी, हि0प्र0	-उक्त-
8.	समस्त अधिषाशी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत हि0प्र0	स्थानीय निकाय
9.	समस्त हैड कॉस्टेबल एवं उससे उपर के पुलिस अधिकारी, हि0प्र0	पुलिस
10.	समस्त जिला/तहसील कल्याण अधिकारी, हि0प्र0	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता
11.	समस्त जिला प्रोग्राम अधिकारी, हि0प्र0	-उक्त-
12.	समस्त बाल विकास एवं प्रोजैक्ट अधिकारी, हि0प्र0	-उक्त-

13.	समस्त पंचायत निरीक्षक, हि0प्र0	ग्रामीण विकास व पंचायती राज
14.	समस्त जिला/सहायक पर्यटन विकास अधिकारी, हि0प्र0	पर्यटन
15.	स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम	स्थानीय निकाय
16.	समस्त जिला/सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
17.	समस्त माप एवं तोल निरीक्षक, हि0प्र0	माप एवं तोल
18.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी/आबकारी निरीक्षक, हि0प्र0	आबकारी एवं कराधान

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) एक्ट, 1996.

भवन व अन्य सन्निर्माण गतिविधियों में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतु सरकार ने राज्य में भवन एवं अन्य निर्माण कामगार ;नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम, 1996 के अर्न्तगत हि0प्र0 भवन एवं अन्य निर्माण कामगार ;नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम, 2008 बनाये हैं, जिन्हें दिनांक 4-12-2008 को अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा-18 के अर्न्तगत भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे कामगारों के कल्याण हेतु हि0 प्र0 भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 5-3-2009 को किया है। यह बोर्ड भवन एवं निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को पैनशन सुविधा, प्रसूति लाभ, मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु अग्रिम राशि, अपंगता पैनशन, औजार खरीदने हेतु ऋण, अन्तिम संस्कार सहायता, मृत्यु प्रसुविधा लाभ, चिकित्सा सहायता, शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, षादी हेतु वित्तीय सहायता, पारिवारिक पैनशन एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, राश्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जन श्री बीमा योजना, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के लिये पारगमन आवास सुविधा और महिला लाभार्थियों के लिये साईकल प्रदान करना कैरोसीन/डीज़ल स्टोव भत्ता और कामगारों के बच्चों के लिये ;25-35 वर्षाद्ध कौषल विकास भत्ता इत्यादि कल्याणकारी योजनाओं के अर्न्तगत लाभ प्रदान करता है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1996 और उसके अर्न्तगत नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये हैं। इस अधिनियम के अनुसार जो भी भवन एवं अन्य सन्निर्माण सम्बन्धित कार्य होंगे उनके कुल व्यय का 1 प्रतिशत उपकर उपरोक्त कल्याण बोर्ड में जमा होगा तथा इस कल्याण निधि से उपरोक्त लाभकारी योजनाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाता है। प्रत्येक कामगार जिसने पूर्व 12 मास के दौरान 90 दिन या अधिक दिनों तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य किया हो वह बोर्ड के साथ पंजीकृत होने एवं लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

कामगारों को पहचान-पत्र प्रदान करना:

श्रम विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी औद्योगिक ईकाईयों व निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में कामगारों व ठेका श्रमिकों को, कारखाना व परियोजना के प्रबन्धक पहचान-पत्र कामगारों को जारी कर रहे हैं जिनका सत्यापन सम्बन्धित श्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है। पहचान पत्रों को प्रदान करने के लिये हिमाचल प्रदेश न्यूनतम वेतन नियम, हिमाचल प्रदेश श्रम ठेका नियम, हिमाचल प्रदेश अर्न्तराज्य प्रवासी कामगार नियम तथा औद्योगिक रोजगार ;स्थाई आदेशद्ध नियम में संषोधन किया गया है जिससे कामगारों को पहचान पत्र जारी करने के लिये प्रावधान है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम,1952

क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, षिमला में स्थित है। इस योजना के अर्न्तगत कारखाने तथा संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा आवष्यक भविष्य निधि में अंषदान का प्रावधान है। यह अधिनियम उन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से

लागू है, जिन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कामगारों की संख्या 20 या उससे अधिक है। इस समय इस योजना के अर्न्तगत 8877 संस्थानों में 11,54,726 कर्मचारियों को लाया जा चुका है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948

यह अधिनियम योजना में लाये गये कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी में निःशुल्क चिकित्सा और प्रसूति तथा व्यवसाय के कारण अपंगता व मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह अधिनियम साल भर चलने वाले उद्योगों, जहां पर 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, पर लागू है। यह खानों तथा रेलवे षैडों में लागू नहीं होता। जिन श्रमिकों का मासिक वेतन 15,000/- रुपये से अधिक है वह इसके अर्न्तगत नहीं आते हैं। यह योजना कर्मचारियों व मालिकों के अंशदान से चलाई जाती है तथा कुल व्यय का 1/8 भाग प्रदेश सरकार देती है। यह योजना जिला सोलन:—(1) सोलन (2) बरोटीवाला (3) बददी (4) परवाणु (5) नालागढ़, जिला सिरमौर:— (1) पांवटा साहिब (2) काला अम्ब, जिला ऊना:—(1) मैहतपुर (2) बाथड़ी (3) गगरेट (4) नंगल खुड़द, (5) टाहलीवाल, (6) बाथु, (7) प्यामपुरा, (8) गौन्दपुर, (9) जयचन्द, (10) सीमा, (11) देवली, (12) जीतपुर, (13) बहेड़ी, (14) शिवपुर, (15) टटेरा, (16) जलग्राम, (17) टिब्बा, (18) बैहडाला तथा जिला शिमला:—(1) शिमला नगर निगम क्षेत्र एवं षोधी औद्योगिक क्षेत्र, जिला बिलासपुर में गोलथाई औद्योगिक क्षेत्र तथा जिला मण्डी: (1) मण्डी (2) रती (3) नेरचौक (4) भंगरोट्ट (5) चक्कर एवं (6) गुटकर एवं जिला कांगड़ा के (1) तहाल, (2) रौड़ी, (3) संसारपुर (4) महाल रौड़ी में लागू है। श्रमिकों के लिये मैहतपुर, बरोटीवाला, सोलन और बददी में डिस्पैन्सरियों के अतिरिक्त परवाणु में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल भी कार्य कर रहा है। इसके साथ क्षेत्रीय निदेशक ई0एस0आई0 कारपोरेशन का कार्यालय परवाणु (ई0एस0आई0 कौम्पलैक्स) में स्थित है। इसके अतिरिक्त जिला सोलन के बददी में ई0एस0आई0 कारपोरेशन का सुपर स्पैषलिटी अस्पताल बन चुका है और जिला मण्डी में ई0एस0आई0 कारपोरेशन का सुपर स्पैषलिटी अस्पताल एवं मैडिकल कॉलेज बन चुका है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम दाड़लाघाट, बागा, बटेड़ एवं सुहली दवारूखाना रौड़ी में भी लागू हो चुका है।

कामगारों के लिये शिक्षा योजना

कामगारों को श्रम अधिनियमों एवं नियमों में निहित सेवा षर्तें, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में अवगत करवाना तथा उत्पादकता, औद्योगिक सम्बन्ध और दायित्व एवं कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। कामगारों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये केन्द्रीय संचालित योजना के अधीन शिक्षित किया जाता है। कामगारों को शिक्षित करके दोहरे लाभ की आषा की जा सकती है। एक तो इससे कार्यकुशलता व उत्पादन को बढ़ावा मिलता है तथा साथ ही यह भी शिक्षा दी जाती है कि वे कामगार संगठनों में अपनी भलाई के लिये कारगर रूप में इस तरह से काम करें कि उनको अधिकतम लाभ हो। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कामगारों को शिक्षा देने का कार्य क्षेत्रीय निदेशक, कामगार शिक्षा बोर्ड, परवाणु द्वारा किया जाता है। श्रमायुक्त, हि0 प्र0 इस बोर्ड के सदस्य हैं।

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्न्तगत औद्योगिक विवादों का न्यायिक निर्णय करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण स्थापित किये हैं। एक श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण शिमला में स्थापित है जिसका कार्यक्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर, सोलन, सिरमौर तथा लाहौल स्पिति का काजा उप-मण्डल है तथा दूसरा श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण धर्मषाला में वर्ष 2003 से स्थापित किया गया है जिसका कार्यक्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लु तथा लाहौल स्पिति का लाहौल भाग शामिल है। इन न्यायालयों में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जिला

एवं सत्र न्यायधीष के पद के बराबर के एक-एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन न्यायालयों में निम्न अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं:-

क्रमांक	पदनाम	संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी	2
2.	वरिष्ठ आषुलिपिक	2
3.	स्टैनो टाईपिस्ट	2
4.	वरिष्ठ सहायक-एवं-रीडर	4
5.	अहलमद	4
6.	चालक	2
7.	दपतरी	2
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
9.	स्वीपर-कम-चौकीदार	1

इन न्यायालयों की स्थापना मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्न्तगत की गई है। मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को श्रम विभाग इन श्रम न्यायालयों एवं न्याय प्राधिकरणों को न्याय निर्णय हेतु अधिसूचित करता है। इसके अतिरिक्त कामगार देय राशि भुगतान प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र सीधे तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी) (2) के अर्न्तगत श्रम न्यायालय में दायर दिये जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में श्रम न्यायालयों को औद्योगिक प्राधिकरण की शक्तियां दी गई हैं जबकि कई अन्य राज्यों में श्रम न्यायालय और औद्योगिक प्राधिकरण अलग-अलग हैं। श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरण, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अर्न्तगत दावों पर भी निर्णय करता है।

उपरोक्त न्यायालय हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं तहसीलों में जाकर भी प्रदेश के मजदूरों के दावों की सुनवाई करके न्याय प्रदान करते हैं क्योंकि कामगार जो दूर-दराज के क्षेत्रों में कार्यरत हैं, अपने मुकदमों की पैरवी के लिये शिमला/धर्मशाला नहीं आ सकते हैं। सरकार श्रम कानूनों को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है ताकि मजदूरों को न्याय मिल सके। ये न्यायालय मजदूरों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं।

1.4.2014 से 31.3.2015 तक श्रम न्यायालयों द्वारा किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	विवरण	सन्दर्भ	आवेदन	जोड़
1	1.4.2014 को लम्बित मामले	587	184	771
2	1.4.2014 से 31.3.2015 तक प्राप्त मामले	493	203	696
3	31.3.2015 को कुल मामले	1080	387	1467
4	1.4.2014 से 31.3.2015 तक निपटाये गये मामले	205	204	409
5	31.3.2015 को लम्बित मामले	875	183	1058

विभाग में वर्ष 1994 में विधि सहायक का पद उपलब्ध करवाया गया जो कि वर्ष 2007 में विधि अधिकारी ;राजपत्रित श्रेणी-पद्ध के नाम से पुनः नामित किया गया। तदनुसार निदेशालय स्तर पर एक विधि कक्ष की स्थापना की गई जो कि माननीय न्यायालय के मामलों में एवं शाखा अधिकारी की आवश्यकता अनुसार कानूनी सलाह प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। विभाग में विधि अधिकारी का एकमात्र पद है और उसे सरकारी स्तर पर सरकार तथा श्रम एवं रोजगार विभाग से सम्बन्धित सभी मामलों को देखना होता है। दिनांक 1-4-2014 से 31-3-2015 की अवधि के दौरान विभिन्न

न्यायालयों से कुल 128 मामले विधि अधिकारी को प्राप्त हुये । इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान विधि अधिकारी के द्वारा 116 मामलों की सुनवाई में उपस्थिति दी गई तथा 21 मामलों के सम्बन्ध में विधि परामर्श दिया गया।

दिनांक 1-4-2014 से 31-3-2015 तक निदेशालय श्रम एवं रोजगार, हि0 प्र0 के न्यायलय में मामलों का विवरण:-

क्रमांक	माननीय न्यायालय का नाम	31-3-2014 तक कुल लम्बित मामलें	31-4-2014 से 31-3-2015 तक प्राप्त कुल मामले	31-3-2015 तक कुल मामले	31-3-2015 तक कुल निपटाये गये मामले	31-3-2015 को कुल लम्बित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	19	9	28	4	24
2.	हि0 प्र0 उच्च न्यायालय	1051	114	1165	681	484
3.	हि0 प्र0 प्रशासनिक प्राधिकरण	-	1	1	-	1
2.	अवर श्रेणी न्यायालय	19	4	23	5	18
	कुल	1089	128	1217	690	527

31-3-2015 तक लम्बित मामलों का ब्यौरा:-

क्रमांक	श्ववाद	संख्या
1.	औद्योगिक विवादों के विरुद्ध सन्दर्भों से सम्बन्धित	93
2.	माननीय श्रम न्यायालयों के अधिनिर्णय के विरुद्ध	63
3.	सेवा मामलों से सम्बन्धित	37
4.	न्याय अधिकरण से उच्च न्यायलय में स्थानांतरित मामलों के विरुद्ध	115
5.	श्रम कानूनों से सम्बन्धित अन्य मामले	191
6.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण/उपकर अधिनियम से सम्बन्धित	28
	कुल:	527

अध्याय-4 रोजगार खण्ड

हिमाचल प्रदेश में इस समय 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, 9 जिला रोजगार कार्यालय, 2 विष्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र व 55 उप रोजगार कार्यालय कार्यरत हैं। ये रोजगार कार्यालय अभ्यर्थियों/जनता को पंजीकरण, सेवा नियोजन, व्यावसायिक मार्गदर्शन सूचना देने में सहायता करते हैं व रोजगार बाजार सूचना भी एकत्रित करते हैं।

1-4-2014 से 31-3-2015 तक जिलावार रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्तियाँ			सम्प्रेषण			सेवा नियोजन			सजीव पंजीका (पंजीकृत आवेदकों की संख्या)
			सरकारी क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	
1 ^प	बिलासपुर	9444	41	1	42	1638	2226	3864	17	128	145	52193
2 ^प	चम्बा	10434	17	3	20	753	1600	2353	9	128	658	60928
3 ^प	हमीरपुर	13485	66	36	102	1123	2545	3668	57	649	362	81389
4 ^प	कांगड़ा	36634	141	90	231	2838	6407	9245	172	305	1089	168130
5 ^प	किन्नौर	2158	.	.	.	10	26	36	3	917	3	8742
6 ^प	कुल्लू	9047	40	6	46	229	1257	1486	4	—	361	67485
7 ^प	लाहौल स्पिति	877	18	.	18	394	11	405	—	357	—	4078
8 ^प	मण्डी	41684	1	155	156	4167	3203	7370	74	—	327	199691
9 ^प	षिमला	17646	281	7	288	582	127	709	46	253	46	76750
10 ^प	सिरमौर	11601	15	200	215	590	3037	3627	3	—	26	61128
11 ^प	सोलन	12066	61	2092	2153	769	12882	13651	19	23	571	56652
12 ^प	रूना	12233	23	802	825	1722	3793	5515	156	552	1163	55822
	जोड़	177309	704	3392	4096	14815	37114	51929	560	1007	4751	892988

षिक्षावार विभाजन4191

स्नातकोत्तर	67816
स्नातक	117795
दसवीं व उपर स्नातक से कम	644407
दसवीं से कम पढे लिखे	61871
अनपढ़	1099
कुल योग	892988

जाति वार विभाजन

अनुसूचित जाति	203030
अनुसूचित जन जाति	43120
टो.बी.सी.	82875
अन्य	563963
कुल योग	892988

स्त्री/ पुरुष विभाजन

पुरुश	523684
स्त्री	369304
कुल योग	892988

षहरी ग्रामीण विभाजन

षहरी	125075
ग्रामीण	767913
कुल योग	892988

कौषल विकास भत्ता योजना, 2013:

(क) कौषल विकास भत्ता योजना, 2013 को हि0प्र0 सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-श्रम(डी) 1-2/2013 दिनांक 21.5.2013 द्वारा अधिसूचित कर लागू किया जा रहा है।

योजना का उद्देश्य हि0प्र0 के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौषल विकास करना है ताकि उसके उपरान्त उनकी नियोजनीयता बढ़ सके। योजना के अर्न्तगत जो हिमाचली युवा हि0 प्र0 सरकार द्वारा अनुमोदित गाईडलाईन्ज अनुसार मान्यता प्राप्त प्रषिक्षण संस्थानों से प्रषिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा पात्रता की अन्य षर्ते पूरी करते हैं, को रु0 1000/- प्रतिमाह की दर से व 50 प्रतिषत स्थायी विकलांग आवेदकों को रु0 1500/- प्रतिमाह की दर से, कौषल विकास भत्ता, प्रषिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक देय है।

(ख) कौषल विकास भत्त हेतू पात्रता षर्ते निम्नलिखित हैं:-

1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हो,,
2. बेरोजगार (न सरकारी, न निजी रोजगार, न ही स्वरोजगार) हो,
3. कम से कम 8वीं उत्तीर्ण हो (मिस्त्री, बढ़ई, लुहार व पलम्बर आदि में प्रषिक्षण हेतु षैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।
4. आयु 16 से 36 वर्ष से कम,
5. पारिवरिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम,
6. आवेदन की तिथि को आवेदक हि0प्र0 के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिये।
7. देश में कहीं भी किसी भी कौषल विकास पाठयक्रम में हिमचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित, योजना के अर्न्तगत स्वीकार्य एवं अस्वीकार्य प्रषिक्षण की गाईडलाईन्ज/सूचि के अनुसार प्रषिक्षण प्राप्त कर रहा/रही हो।

(ग) योजना के अर्न्तगत प्रषिक्षण संस्थानों तथा प्रषिक्षणों की गुणवता को सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से स्वीकार्य एवं अस्वीकार्य प्रषिक्षण की गाईडलाईन्ज को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया जिन्हें कि विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करवाया गया है। अतः सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कौषल विकास में प्राप्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स योजना के

अर्न्तगत मान्य है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का निजि क्षेत्र के संस्थानों (सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर प्रषिक्षण संस्थानों के अलावा)/गैर-सरकारी संस्थानों को कौषल विकास भत्ता योजना के प्रयोजन से इन्पैनल करने हेतु गठन किया गया है। जिला स्तरीय समितियों को इन संस्थानों की आधारभूत संरचना, अध्यापन निपुणता, प्रदान किये जा रहे प्रषिक्षण की गुणवता, आदि की जांच करने उपरान्त इम्पैनल करने हेतु अधिकृत किया गया है। जिला स्तरीय समितियों द्वारा हि0 प्र0 में 252 प्रषिक्षण संस्थानों को इम्पैनल किया गया है तथा लगभग 1788 प्रषिक्षण केन्द्रों/संस्थानों को निरीक्षण करने उपरान्त गुणात्मक प्रषिक्षण तथा उपयुक्त आधारभूत संरचना के अभाव में नामन्जूर कर दिया गया है।

(घ) औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों, पॉलीटैनीकल, कॉलेजों द्वारा दिये जा रहे प्रषिक्षणों एन0एस0क्यू0एफ0 ;छैफथ्द्व एन0सी0वी0टी0;छब्टज्द्व एस0सी0वी0टी0;ब्टज्द्व तथा सरकार द्वारा अनुमोदित प्रषिक्षणों और कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालयों द्वारा करवाये जा रहे डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रषिक्षण, सरकार व इसके निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों और राश्ट्रीय स्तर के निजि क्षेत्र के संस्थान एन.आई0आई0टी0ए अपटैक, ऐसैक्ट, हिन्दुस्तान कम्प्यूटर लि0, कम्प्यूटर मैन्टेनैन्स कॉरपोरेशन लि0 और जैटकिंग द्वारा करवाये जा रहे डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रषिक्षणों के अतिरिक्त, जिला स्तरीय समितियों द्वारा प्राधिकृत संस्थानों के मुख्यतः कटिंग टेलरिंग, ब्यूटिषियन, कढ़ाई बुनाई, फ़ैषन डिजाईनिंग, सॉफ्ट टॉय मेकिंग, मोबाईल रिपेयर, चम्बा रुमाल इम्ब्रॉयडरी, मुर्ति कला, बैम्बू आर्टिकल, इलैक्ट्रीषियन, हैण्डलूम, योर्ट हैन्ड टाईपिंग आदि में दिये जा रहे प्रषिक्षण जो कि युवाओं को स्वयं रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायक हैं, योजना के अर्न्तगत मान्य हैं। इस वित्तीय वर्ष में 52815 अभ्यर्थियों (जिनमें कि 21126 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्ष से जारी कर रहे हैं तथा 31689 इस वित्तीय वर्ष के नये अभ्यर्थी हैं। को 28.60 करोड की धनराषि कौषल विकास भत्ता के रूप में प्रदान की गई, जिसका जिलावार ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र0 स0	जिला का नाम	लाभार्थियों की संख्या	प्रदान किए गए भत्ते की राषि ;रूपये मेंद्व
1 ^प	सिरमौर	6876	28652000
2 ^प	बिलासपुर	1198	6907000
3 ^प	हमीरपुर	4373	23405500
4 ^प	सोलन	3714	13597000
5 ^प	कुल्लू	3835	16611500
6 ^प	ऊना	5351	2969854
7 ^प	कगड़ा	14904	85890500
8 ^प	चम्बा	3834	28251215
9 ^प	मण्डी	5344	30341000
10 ^प	षिमला	3124	21639000

11 ^प	किन्नौर	156	1277000
12 ^प	लाहौल स्पिति	101	6675000
	कुल	52815 (21126 आवेदक पिछले वित्तीय वर्ष से जारी कर रहे हैं तथा 31689 इस वित्तीय वर्ष के नये अभ्यर्थी हैं।)	286938069

योजना के प्रारम्भ से 31-3-2015 तक 73766 अभ्यर्थियों को कुल 42.66 करोड़ की धन-राशि कौषल विकास भत्ता के रूप में प्रदान की जा चुकी है।

श्रम एवं रोजगार निदेशालय में स्थापित विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतु), द्वारा वर्ष 2013-14 में किये गये कार्यकलापों का विवरण:

सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोजगार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी (स्थापना) के अधीन वर्ष, 1976 में विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतु) की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त विशेष अपंग कक्ष धर्मशाला में वर्ष 1983 से कार्यरत है। यह कक्ष अपंग आवेदकों को व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलवाने में सहायता प्रदान करता है।

समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधाएं/रियायतें दी गई हैं जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा निषुल्क स्वास्थ्य परीक्षा, सरकारी नौकरियों में उपरी आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, उपरी अंगों की (हाथ तथा बाजू) अपंगता होने पर टंकण परीक्षा पास करने से छूट है तथा विकलांगों के लिये आरक्षण निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	आरक्षण की श्रेणी	प्रतिषत
1.	प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण	3 प्रतिषत
2.	महिलाओं के लिये खोले गये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों व सिलाई कटाई केन्द्रों में आरक्षण	5 प्रतिषत

आरक्षित रिक्तियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अपंग तथा उनके अनुसूचकों को यात्रा-भत्ता देने का प्रावधान है। 200 रोस्टर प्वाइंट में आरक्षण का निर्धारण जो कि पहला 30वां, 73वां, 101वां, 130वां व 173वां है। क्रमशः दृष्टिदोष अपंग, श्रवण एवं वाक अपंग तथा अस्थि अपंग व्यक्तियों के लिये किया जाता है। व्यक्ति जिनमें अक्षमतायें हैं; समान अवसर, अधिकारी संरक्षक और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 के तहत नियोक्ताओं के अभिलेख, रोस्टर प्वाइंट को चैक करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतु), द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 में किये गये कार्यकलापों का विवरण:

क्र०सं०	पंजीकरण	अधिसूचित आरक्षित रिक्तियाँ	नियुक्तियों के विरुद्ध	सेवा नियोजन	सजीव पंजीका
---------	---------	----------------------------	------------------------	-------------	-------------

			सम्प्रेषण		
1	1,879	187	209	24	17,565

व्यावसायिक मार्गदर्शन संगठन तथा रोजगार परामर्श:

श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीन इस समय चार व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से एक निदेशालय में स्थित राज्य व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र है तथा पेश तीन केन्द्र, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय षिमला, मण्डी व धर्मशाला में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त दो विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, पालमपुर व षिमला में स्थित हैं। इन केन्द्रों द्वारा रोजगार के सन्दर्भ में आवेदकों का पंजीकरण व उनको व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या:श्रम (एम्प) 16/6/93-1, दिनांक:31-1-2006 द्वारा जिला स्तर पर सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना उपायुक्त की अध्यक्षता में की है जिसका कार्य आवेदकों को राज्य के सरकारी/निजी क्षेत्र में रोजगार व स्व-रोजगार सहायता प्रदान करना है। प्रदेश के प्रतिष्ठानों व शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक मार्गदर्शन कैम्पों का आयोजन किया जाता है।

1-4-2014 से 31-3-2015 तक इन व्यावसायिक केन्द्रों तथा अधीनस्थ रोजगार कार्यालयों द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन से सम्बन्धित निम्न कार्य किये गये:-

1. 2014-15 में विभाग को व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिये ₹3,00,000/- का बजट आबंटित किया गया तथा इस वित्त वर्ष में 150 व्यावसायिक मार्गदर्शन कैम्प आयोजित किये गये। जिला रोजगार अधिकारियों द्वारा 232 तथा उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, अनु0 जाति/अनु0 जन जाति हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र मण्डी द्वारा 48 द्व
2. केन्द्र सरकार के सहयोग से जिला मुख्यालय मण्डी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के युवाओं के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है जिसमें हिन्दी में टंकण, स्टैनो आधुलिपि तथा कम्प्यूटर में निषुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में 150 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है।
3. स्टेपनरी छपवाने के लिये ₹1.90 का बजट प्रावधान रखा गया था। जिस से ग.10 , ग.1 फार्म और कार्यालय में प्रयोग होने वाले अन्य फार्म छपवाये गये तथा पूरे बजट को व्यय किया गया।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष की गतिविधियाँ:

हिमाचल प्रदेश के इच्छुक युवाओं को निजि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने की कड़ी में केन्द्रीय रोजगार कक्ष ने वर्ष, 2014-15 में अपने कार्यों को विस्तार देने की कोषिष की है। हिमाचल प्रदेश में स्थित निजि क्षेत्र के नियोक्ताओं की जन-षक्ति की मांग को पूरा करने के प्रयास किये गये।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष के वर्ष 2014-15 के कार्य कलापों का लेखा-जोखा निम्न प्राकर से है:-

रिक्तियों की अधिसूचना	आवेदकों का सम्प्रेषण	सेवा नियोजन
98	1138	19

राज्य में स्थित रोज़गार कार्यालयों में कैम्पस इन्टरव्यू करवाये गये ताकि निजी क्षेत्र में अकुषल कामगारों की मांग को पूरा किया जा सके।

वर्ष	कैम्पस इन्टरव्यू	सेवा नियोजन
2014-15	162	2507

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के भिन्न-2 स्थानों में 12 रोज़गार मेलों का आयोजन किया गया जिसमें 4295 आवेदकों का सेवा नियोजन किया गया।

हिमाचल प्रदेश में स्थापित उद्योगों तथा हाईड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजेक्टों में हिमाचलियों को 70 प्रतिषत रोज़गार की मोनटरिंग:

विभाग के क्षेत्रीय रोज़गार अधिकारी/जिला रोज़गार अधिकारी/श्रम अधिकारी तथा श्रम निरीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं कि अपनी सामान्य निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उद्योगों तथा जल विद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिषत हिमाचलियों को रोज़गार के विशय को भी देखेंगे। जिन उद्योगों तथा जल-विद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिषत से कम हिमाचलियों को रोज़गार दिया गया है उनकी सूचना उद्योग विभाग तथा एमपीपी एण्ड पावर को भेजी जाती है। अभी तक 178 उद्योगों तथा 13 जल विद्युत परियोजनाओं जिनमें 70 प्रतिषत से कम हिमाचलियों को रोज़गार दिया गया है की सूचना उद्योग विभाग तथा एम0पी0पी0 एण्ड पावर विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी गई है।

रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम:

रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम के अर्न्तगत क्षेत्रीय/जिला रोज़गार कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के रोज़गार से सम्बन्धित सूचना नियमित रूप से एकत्रित करते हैं। रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रदेश में जिला स्तर पर रोज़गार के आंकड़े वर्ष 1960 से एकत्रित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम भारतीय अर्थ व्यवस्था के संगठित क्षेत्र को व्यक्त करता है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों व निजी क्षेत्र के उन नियोक्ताओं जिनके पास 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और कृषि कार्यक्रम से सम्बन्धित नहीं हैं, उनसे ये आंकड़े रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 के तहत एकत्रित किये जाते हैं। इस विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजी क्षेत्र की ईकाईयों में अधिक से अधिक हिमाचली युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो। रोज़गार कार्यालय द्वारा निजी क्षेत्र की विषेशकर नई ईकाईयों से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है, व उन्हें रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 के अर्न्तगत अनिवार्य रूप से रिक्तियों को अधिसूचित करने बारे सूचित किया जाता है। इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के 338 निरीक्षण किए गए हैं।

निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	कुल निरीक्षण
111	147	258

रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम के अर्न्तगत रोज़गार की स्थिति का विप्लेशन विभाग द्वारा समय-समय पर भारत सरकार को भेजी गई विवरणियों में किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

अवधि त्रैमासान्त	प्रतिष्ठानों की संख्या		अनुमानित रोज़गार	
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
त्रैमासान्त मार्च/13	4181	1661	270955	139834
त्रैमासान्त मार्च/14	4195	1724	272141	145921

सार्वजनिक क्षेत्र के पांच अंगों में त्रैमासान्त मार्च, 2014 में नियोक्ताओं की संख्या एवं अनुमानित रोजगार :-

अवधि त्रैमासान्त	केन्द्रीय सरकार		राज्य सरकार		अर्ध-सरकारी केन्द्रीय		अर्ध-सरकारी राज्य		स्थानीय निकाय	
	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार
मार्च / 13	129	11544	2750	193697	740	19356	499	42646	63	2712
मार्च / 14	123	11329	2755	195646	749	19444	505	42063	63	3659

निजी क्षेत्र में 2014 में नियोक्ताओं की संख्या एवं अनुमानित रोजगार

अवधि त्रैमासान्त	अधिनियमित संस्थान		लघु संस्थान	
	25 या अधिक कर्मचारी वाले		10 से 24 कर्मचारियों वाले	
	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित. रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार
त्रैमासान्त मार्च / 13	1073	130795	588	9039
त्रैमासान्त मार्च / 14	1112	136555	612	9366

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त मार्च, 2014 में औद्योगिक वर्गीकरण में संस्थानों की संख्या एवं अनुमानित रोजगार:-

त्रैमासान्त मार्च, 2012					
		सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र	
		प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार
1.	कृषि, षिकार, वानिकी एवं पशु व्यवसाय	165	16789	12	483
2.	मतस्य षिकार	4	73	1	50
3.	खनिज एवं खाद्य	45	1673	1106	117095
4.	उत्पादन	172	33869	47	3753
5.	विद्युत गैस एवं जल	138	40431	16	1972
6.	निर्माण	26	735	40	1476
7.	थोक, व्यक्तिगत एवं घर-गृहस्थ सामान एवं परचून व्यापार	45	12956	7	307
8.	होटल एवं रेस्तरां	13	749	127	4123
9.	यातायात, संचार एवं भण्डार	15	4079	16	1326
10.	वित्तीय बीमा	882	12458	25	456
11.	सम्पदा, लगान, व्यवसाय कार्यकलाप	78	4951	1	19
12.	लोक प्रशासन, रक्षा, सामाजिक एवं व्यक्तिगत समस्याएँ	687	49487	1	30
13.	षिक्षा	1673	73074	305	13370
14.	स्वास्थ्य एवं सम्बन्धित कार्य	206	20125	20	1461
15.	अन्य समाजिक एवं व्यक्तिगत सेवायें	46	692	0	0
	कुल	4195	272141	1724	145921

वर्ष 2014-15 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोज़गार के त्वरित अनुमान।
त्रैमासान्त मार्च,2012 के दौरान रोज़गार।

विवरण-1

त्रैमासान्त मार्च 2014 को कुल रोज़गार			त्रैमासान्त दिसम्बर,2013 को कुल रोज़गार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	
272141	145921	418062	417179

औसत महिला रोज़गार

विवरण-2

त्रैमासान्त मार्च 2014 को कुल रोज़गार			त्रैमासान्त दिसम्बर,2013 को कुल रोज़गार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	
63869	21715	85584	84303

कुल औसत तुलनात्मक रोज़गार

विवरण-3

त्रैमासान्त मार्च,2014 को कुल रोज़गार		गत वर्ष के त्रैमास के अनुसार वर्तमान त्रैमासान्त में प्रतिषत परिवर्तन
त्रैमासान्त 30-03-2013 को कुल रोज़गार	त्रैमासान्त 31-03-2014 को कुल रोज़गार	
410789	418062	1.77

कुल औसत तुलनात्मक रोज़गार (महिला)

विवरण-4

त्रैमासान्त मार्च,2014 को कुल रोज़गार		गत वर्ष के त्रैमास के अनुसार वर्तमान त्रैमासान्त में प्रतिषत परिवर्तन
त्रैमासान्त 30-03-2013 को कुल रोज़गार	त्रैमासान्त 31-03-2014 को कुल रोज़गार	
80004	85584	6.97

श्रम एवं रोज़गार विभाग के अन्तर्गत बनाये जा रहे भवनों का विवरण:

श्रम एवं रोज़गार विभाग, हिमाचल प्रदेश के अधीन 109 कार्यालय कार्यरत हैं।

;कद्ध **विभागीय 23 कार्यालय जो सरकारी भवनों में हैं:**

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरण षिमला तथा धर्मषाला, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय मण्डी तथा षिमला, विष्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो षिमला एवं पालमपुर जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा, तथा रिकांग-पीओ, श्रम अधिकारी कार्यालय मण्डी, बद्दी तथा रामपुर बुषैहर, श्रम निरीक्षक कार्यालय रामपुर बुषैहर, मण्डी, परवाणु, नालागढ, बद्दी, तथा पांवटा साहिब एवं उप रोज़गार कार्यालय रामपुर बुषैहर, नालागढ, भरमौर, डोडरा-क्वार, काज़ा एवं चिड़गांव।

;खद्ध **विभागीय 43 कार्यालय जो विभागीय भवनों में हैं:**

श्रम एवं रोज़गार निदेशालय षिमला, उप-निदेशक कारखाना षिमला, उप-निदेशक कारखाना ऊना, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय धर्मषाला, जिला रोज़गार कार्यालय ऊना, बिलासपुर, नाहन, कुल्लु, श्रम कार्यालय धर्मषाला, बिलासपुर, कुल्लू एवं श्रम निरीक्षक कार्यालय, धर्मषाला, बिलासपुर, कुल्लु,

अम्ब, सुन्दरनगर, पालमपुर, देहरा, नूरपुर व नाहन तथा उप-रोज़गार कार्यालय पांगी, तीसा, अम्ब, सराहां, गोहर, बैजनाथ, पालमपुर, देहरा, इन्दौरा, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, सुन्दरनगर, पूह, संगडाह, सुजानपुर टिहरा, ज्वाली, राजगढ़, चुवाडी फतेहपुर एवं चौपाल।

गढ़ विभागीय 7 कार्यालय जो निर्माणाधीन हैं:

प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्थित कार्यालयों के लिए विभाग द्वारा विभागीय भवन बनवाने का कार्य किया गया है। इनमें उप-रोज़गार कार्यालय उदयपुर, नालागढ़ एवं श्रम निरीक्षक कार्यालय नालागढ़ व जिला रोज़गार कार्यालय/श्रम कार्यालय एवं श्रम निरीक्षक कार्यालय, सोलन हैं।

शेष कार्यालय निजी भवनों में स्थित हैं।

ठनकहमज - |बजनंस माचमदकपजनतमैजंमउमदज थपहनतमे
कमउंदक छवरू27.संड्वनतएम्उचसवलउमदज - ज्तंपदपदहण

क्र.सं.	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण
क्र.सं.	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण
1	01.संड्वनतए001.कपतमबजपवद - कउपदपेजतंजपवदेए 01.जॉर्ज जीम भुतेए		1ए06ए96ए000		1ए04ए01ए661
2	01.संड्वनतए101.पदकनेजतपंस त्मसंसजपवदेए 01.मदवितबमउमदज वी संड्वनत रूए		3ए12ए82ए000		3ए08ए44ए645
3	01.संड्वनतए101.पदकनेजतपंस त्मसंसजपवदेए 03.हम ठवंतक		29ए000		19ए760
4	01.संड्वनतए102.वतापदह ब्दकपजपवदे - जिमलए01.पदेचमबजवतंजम वी थंबजवतपमेए		10ए89ए000		9ए76ए341
5	01.संड्वनतए103.ळमदमतंस संड्वनत मसतिमए 01.म्कनबंजपवद				
6	02.मउचसवलउमदजए 001.कपतमबजपवद - कउपदपेजतंजपवद.01.जॉर्ज जीम कपतमबजवतंजम वी जीम मउचसवलउमदजए		55ए46ए000		51ए79ए773
7	02.मउचसवलउमदजए004.त्मेमंतबी ऐनतअमल - जंजपेजपवेए 01.ब्ससमबजपवद वी म्डए		67ए63ए000		53ए98ए437
8	02.मउचसवलउमदजए101.मउचसवलउमदज मतअपबमेए 01.माजमदेपवद ब्बअमतंहम वी मउचसवलउमदज मतअपबमेए		7ए50ए76ए000		6ए28ए94ए726
9	02.मउचसवलउमदजए101.मउचसवलउमदज मतअपबमेए 02.टवबंजपवदंस ळनपकंदबम - मउचसवलउमदज ब्बनदेमससपदहण	18ए20ए000	25ए45ए000	8ए08ए101	19ए02ए553
10	02.मउचसवलउमदजए101.मउचसवलउमदज मतअपबमेए 03.न्दपअमतेपजल मउचसवलउमदज पदवितउंजपवद - ळनपकंदबम ठनतमंण		5ए67ए000		1ए01ए614
11	02.मउचसवलउमदजए101.मउचसवलउमदज मतअपबमेए 05.चमबपंस मउचसवलउमदज माबींदहमे;बीमकनसमक बेजमेद्ध		7ए86ए000		9ए03ए196

12	03.ज्त्तंपदपदहए 003.ज्त्तंपदपदह वि ब्रांजिउंद - प्देजतनबजवतेए 09.पसस कमअमसवचउमदज ससवूंदबम		99ए00ए00ए000	.	29ए21ए99ए866
13	2059.डपदवत वतो.01.053.42		1ए000	.	.
13	4250.ब्वपजंस वतो	4ए80ए000	.	4ए80ए000	.
14	2235.चमदेपवदमते वि स्रंइवनत - म्उचसवलउमदज कमचंतजउमदज		33ए29ए000	.	33ए29ए242
	ज्वजंसरु	23ए00ए000	112ए77ए00ए000	12ए88ए101	41ए41ए51ए814

ठन्कळम्प - |ब्रं|स म्चम्पक्पन्तै उ|ज्म्डम्पउ थळन्तै क्म्ड |छक् छद31.ज्त्त |स क्म्टम्क्ळडम्पउ

1	01.स्रंइवनतए 796.ज्त्तपइंस तमै नइ.चसंदए 01.माचमदकपजनतम वद पदवितबमउमदज वि स्रंइवनत स्रं	1ए80ए000	20ए16ए000	94ए431	16ए46ए511
2	02.म्उचसवलउमदजए 796.ज्त्तपइंस तमै नइ चसंदए 01.माचमदकपजनतम वद म्उचसवलउमदमैतअपबमै	9ए19ए000	47ए54ए000	7ए80ए487	43ए99ए274
3	03.ज्त्तंपदपदहए ज्त्तपइंस तमै नइ चसंदए 06.पसस कमअमसवचउमदज ससवूंदबम	1000	99ए99ए000	.	19ए71ए958
	ज्त्त स	11ए00ए000	1ए67ए69ए000	8ए74ए918	80ए17ए743

त्मबमपचज डंरवत भ्मंक.0230 थपदंदबपंस ल्मतं 2014.14

तण्णवण	भ्मंक वि बबवनदज	भ्मैपउंजमक त्मबमपचज ;पद त्ण्ण	बजनंस त्मबमपचज ;पद त्ण्ण
1	0230.00.101.01 न्दकमत स्रंइवनत स्रं	10ए000	9ए216
2	0230.00.102.01 त्महदण वि ज्त्तंकम न्दपवद	1ए000	380
3	0230.00.104.01 थममै न्दकमत थंबजवतल बज	4ए05ए38ए000	3ए05ए91ए250
4	0230.00.106.001 थममै न्दकमत ब्दजतंबज स्रंइवनत बज	5ए74ए000	5ए82ए739
5	0230.00.800.01 थममै न्दकमत ड्वजवत ज्त्तंदेचवतज बज	1ए26ए000	1ए42ए890
6	0230.00.800.02 थममै न्दकमत वीवचे - ब्वउउण्णैज्त्तइंसपौउमदज बज	79ए19ए000	79ए27ए848
7	0230.00.800.05 त्मबवअमतल वि ब्बिअमत च्चलउमदज	34ए000	55ए921
8	0230.00.800.07.व्जीमते डपेब त्मबवअमतल	1ए35ए000	15ए46ए394
9	0230.00.800.10.भ्मे	44ए76ए000	52ए83ए568
10	0230.00.800.11 थपदम नदकमत ठळ्ळ बजण	10ए000	3ए06ए900
	ज्वजंसरु	5ए38ए23ए000	4ए64ए47ए106

त्पहीज जव प्दवितउंजपवद

ळवअमतदउमदज वऱिभ्पउंबीस च्तांकमौ
कमचंतजउमदज वऱिस्इवनत – म्उचसवलउमदज
छवणैतंत; 1द्व4.2ध2005 कंजमकरु ँपउसंरू171001 जीम 10^{जी} 1चतपसए2007ण

छवजपपिबंजपवद

प्द मगमतबपेम वऱिजीम चवूमत बवदमिततमक इल बसंनेम ;इद्व वऱि
नइंमबजपवद ;1द्व वऱिमिबजपवद 4 वऱिजीम त्पहीज वऱिप्दवितउंजपवद 1बजए2005ए जीम
ळवअमतदवत वऱिभ्पउंबीस च्तांकमौ पे चसमेंमक जव चनइंसपी जीम तमबवतके दक वजीमत
बजपअपजपमे वऱिजीम स्इवनत – म्उचसवलउमदज कमचंतजउमदजए नदकमत रू.

	<p>जीम चंतजपबनसंते वि पजे वतहंदपेजपवदए निदबजपवदे दक कनजपमे</p>	<p>जीम कमचंतजउमदज वि संडवनत – म्उचसवलउमदज बंउम पदजव मगपेजमदबम पद 1972 जिमत महतमहंजपवद तिवउ प्दकनेजतपमे कमचंतजउमदजण प्ज पे उंपदसल तमेचवदेपइसम वित पउचसमउमदजंजपवद वि अंतपवने संडवनत रूँ ;27 ब्मदजतंस – 2 जंजम ।बजेद्ध दक वित चतवअपकपदह मउचसवलउमदज पेजंदबम जव रवइममामतेण जीम कमचंतजउमदज ि इममद चसंलपदह जीम तवसम वि बिपसपजंजवत दक तमहनसंजवतण प्ज बवउचतपेमे वि 3 पूदहे. संडवनतए थंबजवतपमे – म्उचसवलउमदजण जीम संडवनत पूदह पे चतपउंतपसल सववापदह जिमत जीम मूसतिमए िमंसजी – मिजल वि जीम वूतामते पद जीम पदकनेजतपंस दक बवउउमतबपंस मेजइसपीउमदजेण प्ज पे सेव तमेचवदेपइसम वित उंपदजंपदपदह पदकनेजतपंस चमंबम दक ितउवदल इमजूममद जीम उंदंहमउमदजे दक जीम वूतामतेण जीम थंबजवतल पदह पे तमेचवदेपइसम वित चचतवअंस वि ठनपसकपदह च्संदे वि बिजवतपमेए पेनम दक तमदमूस वि बिजवतल सपबमदबम दक पदेचमबजपवद वि बिजवतपमे जव मदेनतम बवउचसपंदबम वि चतवअपेपवदे तमहंतकपदह िमंसजीए मिजल दक मूसतिम वि बिजवतल वूतामतेण जीम म्उचसवलउमदज पूदह िमंसचे जीम पदजमतमेजमक रवइ ममामते दक वजीमत चमतेवदे पदजमतमेजमक पद मसि मउचसवलउमदज इल लूल वि तमहपेजतंजपवदए चवदेवतपदह दक इल चतवअपकपदह अवबंजपवदंस हनपकंदबम दक बंतममत बवनदेमससपदहण</p>
<p>2ण</p>	<p>जीम चवूमते दक कनजपमे वि पजे विपिबमते दक मउचसवलममेण</p>	<p>बेपिबी तम कपेचवेमक वि जि जीम समअमस वि मबतमजंतल ;संड दक म्उचण्द ळवअजण वि ष्टि पद्ध मेजइसपीउमदज उंजजमत तमसंजपदह जव संडण – म्उचण कमचजजध पपद्ध स्वाँईं थंरलँईं फनमेजपवदेण पपपद्ध ब्वनतज बेमेण पअद्धठनकहमजए थपदंदबपंस उंजजमतध म्माचमदकपजनतम दबजपवदेण अद्ध च्नइसपबंजपवद वि तूतकेण कमचनजल मबतमजंतल पद्ध िसस बवततमेचवदकमदबम तमसंजपदह जव चमतेवददमस उंजजमतध पिदंदबपंस दबजपवदे मजबण तम तवनजमक जीतवनही िपउ जव जीम मबतमजंतलण पपद्ध च्नइसपब तमचतमेमदजंजपवदे तमबमपअमक पद जीपे विपिबम तम वितूंतकमक जव जीम बवदबमतदमक कमचंतजउमदजे वित तमचवतज दक चचतवचतपंजम बंजपवद मबजपवद विपिबमत पद्ध ज्व नचमतअपेम संस जीम वूता तमसंजपदह जव चमतेवददमसध ठनकहमज दक चनइसपब तमचतमेमदजंजपअम मजबण</p>

		<p>पपद्ध ज्व मदेनतम संस जीम क्मंसपदह षोजजण दक क्पंतपेज तम उंपदजंपदपदह संस तमुनपतमक तमहपेजमते दक ाममच जीम उम नचकंजमकण</p> <p>पपद्ध ज्व ाममच बंतमनिससल षुजबी वद जीम उवअमउमदजे वी कां पिसमे इमजूममद मबजपवद दक िपहीमत नजीवतपजपमेण</p> <p>पअद्धज्व मदेनतम जपउमसल नइउपेपवद वी जपउम इवनदक बेंमेध ब्वनतज बेंमेण</p> <p>अद्ध ज्व मदेनतम जीज संस उंदनसेए त्ससमेए पदेचमबजपवदेए हनंतक पिसमे मजबण वी जीम मबजपवद तम ामचज नच जव कंजमण</p> <p>नचमतपदजमदकमदज</p> <p>पद्ध ज्व नचमतअपेम संस जीम वूता वी क्मंसपदह षोजेण नदकमत जीमपत बवदजतवसण</p> <p>पपद्ध ज्व मदेनतम जपउमसल नइउपेपवद वी संस चंचमते बबवतकपदह जव जीमपत चतपवतपजलण</p> <p>तण्धश्रतण षोजजण</p> <p>पद्ध त्वमदपदहध उंपदजंपदपदह वी पिसमे दक दवजपदह दक कतंजिपदह नच जव कंजम वी अंतपवने जलचमे वी कंजं दक उंपदजमदंदबम वी अंतपवने तमहपेजमतेण</p> <p>पपद्ध म्जंइसपीउमदज उंजजमते पदबसनकपदह त - च त्ससमेए उंपदजमदंदबम वी मतअपबम ठववोए मतअपबम तमबवतकेए समंअम बबवनदजे चमदेपवद बेंमेए कपेबपचसपदंतल उंजजमतेए चंल पिगंजपवदए पिदंसपेंजपवद वी मदपवतपजलए ब्वनतज बेंमे दक वजीमत उपेबण उंजजमतेण</p> <p>ब्समता</p> <p>पद्ध क्पंतल दक कमेचंजबीध उवअमउमदज वी पिसमे म्मासल - उवदजीसल जंजमउमदजे मजबण</p> <p>पपद्ध उंपदजमदंदबम वी समंअम बबवनदज दक वजीमत उपेबण वूता मदजतनेजमक इल जीम ण्व</p>
3.	<p>जीम चतवबमकनतम विससवूमक पद जीम कमबपेपवद उंपदह चतवबमे पदबसनकपदह बींददमसे वी नचमतअपेपवद दक बबवनदजंइपसपजलण</p>	<p>सस जीम बेंमे पद जीम ठतंदबी तम नइउपजजमक वद पिसम इल जीम बवदबमतदमक क्मंसपदह षोजेण नचमतअपेमक इल जीम नचकजण दक नइउपजजमक जव जीम ण्व भ्म नइउपजे पज नितजीमत जव जीम न्दकमत मबतमजंतल जीमद जव जीम मबतमजंतलण त्वनजपदम उंजजमते दक पदवितउंजवतल तममितमदबमे तम कपेचवेमक वी ज ण्व न्दकमत मबतमजंतल समअमसण थ्पदंदबपंस उंजजमतेध मगचमदकपजनतम दबजपवदेए</p>

		कमबपेपवद जांपदह चवूमत अमेजे पूजी जीमैमबतमजंतलण
4ण	जीम दवतउे मज इल पज वित जीम कपेबींतहम वि पजे निदबजपवदेण	॥ जंजमक ज च्वपदज छवण 2 – 3ण
5ण	जीम त्समेए त्महनसंजपवदेए पदेजतनबजपवदेए उंदनसे दक तमबवतके मिसक इल पज वत नदकमत पजे बवदजतवसेण	जीम अंतपवने तनसमे – त्महनसंजपवदे पदेजतनबजपवदे विससवूमक तम नदकमतरु. 1ण भ्च्छे 2ण छै – छ। त्समे 3ण ब्वदकनबज त्समेए 4ण डमकपबंस ।जजमदकंदबम त्समेए 5ण क्मसमहंजपवद विपिदंबपंस चवूमतेण 6ण र्ज्ज त्समेए छ्छ त्समेए च्मदेपवद त्समे मजबण 7ण त – च त्समेण 8ण वीपिबम उंदनसेण
6ण	॥ जंजमउमदज वि जीम बंजमहवतपमे वि जीम कवबनउमदजे जीज तम मिसक इल पज वत नदकमत पजे बवदजतवसेण	छए ।ण
7ण	जीम चंतजपबनसंते वि दल तंतंदहमउमदज जीज मगपेजे वित बवदेनसजंजपवद पूजी तमचतमेमदजंजपवद इल जीम उमउइमते वि जीम चनइसपब पद तमसंजपवद जव जीम वितउनसंजपवद वि पजे चवसपबल वत कउपदपेजतंजपवद जीमतमवणि	छण ।ण
8ण	॥ जंजमउमदज वि जीम उवंतकए ब्वनदबपसे	

	<p>बुउउपजजमम - व्जीमत इवकपमे बवदेपेजपदह वि जूव वत उवतम चमतेवदे बवदेजपजनजमक पजे चंतज वि वत वित जीम चनतचवेम विपजे कअपबम दक जव जीमजीमत उममजपदहे वि जीवेम ठवंतकेध ब्वनदबपसेध बुउउपजजमम दक वजीमत ठवकपमे तम वचमद जव जीम चनइसपब वत जीम उपदनजमे वि नेबी उममजपदहे तम बबमेपइसम वित चनइसपबण</p>	<p>छण ण</p>
9ण	<p>। कपतमबजवतल विपजे वापिबमते दक मउचसवलममेण</p>	<p>1ण^मबतमजंतल ;संड - म्उचणद्ध. चैण्छवण2621876ए 2880735 2ण^मचनजल^मबतमजंतलण. चैण्छवण2628499ए 2880527 3ण^मदपवत त्तपअंजम^मबतमजंतलध्ण ण.चैण्छवण2621876ए 2880735 4ण^मबजपवद वीपिबमत.चैण्छवण2880444 5ण^मनचमतपदजमदकमदज. चैण्छवण2880544 7ण^मतण ोजजेण.चैण्छवण .कव. 8ण श्रतण ोजजण.चैण्छवण.कव. 9ण बसमतो.चैण्छवण .कव. 10ण च्मवदण .चैण्छवण .कव.</p>
10ण	<p>जीम उवदजीसल तमउनदमतंजपवद तमबमपअमक इल मंबी वि पजे वापिबमत दक मउचसवलममे पदबसनकपदह जीम लेजमउ वि बवउचमदेजपवद चतवअपकमक पद पजे त्महनसंजपवदण</p>	<p>छण ण</p>
11ण	<p>जीम ठनकहमज ।ससवबंजमक जव मंबी वि पजे ह्मदबल पदकपबंजपदह जीम चंतजपबनसंते वि संस चसंदेए चतवचवेमक</p>	<p>छण ण</p>

	मगचमदकपजनतम दक तमचवतजे वद कपेइनेतेमउमदज उंकमण	
12ण	जीम उंददमत वि मगमबनजपवद वि नइपेकल चतवहतउउमेए पदबसनकपदह जीम उवनदज ससवबंजमक दक जीम कमजंपसे वि इमदमपिबपंतपमे वि नबी चतवहतउउमेण	छण ।ण
13ण	चंतजपबनसंते वि तमबपचपमदजे वि बवदबमेपवदे चमतउपजे वत नजीवतप्रंजपवदे हतंदजमक इल पजण	छण ।ण
14ण	कमजंपसे पद तमेचमबज वि जीम पदवितउंजपवद अंपसंइसम जव वत मसक इल पजए तमकनबमक पद द मसमबजतवदपब वितउण	छण ।ण
15ण	जीम चंतजपबनसंते वि बिपसपजपमे अंपसंइसम जव बपजप्रमदे वित वइजंपदपदह पदवितउंजपवदए पदबसनकपदह जीम वृतापदह वि सपइतंतल वत तमंकपदह तववउए पा उंपदजंपदमक वित चनइसपब नेमण	छण ।ण
16ण	जीम दंउमेए कमेपहदंजपवदे दक वजीमत चंतजपबनसंते वि जीम च्नइसपब पदवितउंजपवद विपिबमतेण	जीपे कमचंतजउमदज अपकम छवजपपिबंजपवद कजण 31ण10ण05 ी संतमंकल कमेपहदंजमक जीम विपिबमते वि जीम संइ दक मउचसवलउमदज कमचजजण । चचमससंजम नजीवतपजलध च्नइसपब पदवितउंजपवद विपिबमतण जीम पक पदवितउंजपवद पे सेव अंपसंइसम वद जीम विपिबपंस मइपजम वि जीम जंजम ळवअमतदउमदजण
17ण	नबी वजीमत पदवितउंजपवद उंल इम	जीम सपेज वि सस जीम ।बजे दक त्नसमे ीपबी तम चमतजंपदपदह जव जीम र - ः कमचजजण पे अंपसंइसम वद

चतमेबतपइमकण	जीम मइपजम विजीम कमचजजण
-------------	------------------------

ठल व्वम्

मबतमजंतल ;संइण-मउचणद्ध

जव जीम

ळवअमतदउमदज विभि

मदकेजण छवणौतंतु; इद्ध4.2९2005 कंजमकौपउसं.2 जीम 10^{जी} चतपसए2007

ब्वचल जवरु .

9ण जीम च्तापदबपचंसैमबतमजंतल ; इद्ध जव जीम ळवअजण विभिौपउसं.2ण

10ण |सस जीम |कउदणैमबतमजंतपमेए भ्चौपउदसं.2ण

11ण |सस जीम भ्क्के पद भ्च

12ण |सस क्पअण ब्वउउपेपवदमतेए६ के पद भ्च

13ण जीम ब्वदजतवससमतए च -" भ्चौपउसं.5ए वित चनइसपबंजपवद पद जीम

त्रंचंजतं ;माजतं वतकपदंतलद्ध

14ण ळनंतक थ्पसमण

क६.

कमचनजल

मबतमजंतल ;संइण-मउचणद्ध

जव जीम ळवअमतदउमदज

विभि

ळवअमतदउमदज विभिउंबीस च्तांकमौण
कपतमबजवतंजम वि संइवनत - मउचसवलउमदज

छवरुौतंतु;चौंजीद्ध11९05 कंजमक औपउसं.171001 29.4.2014

~~ठल व्वम्~~

जीम चंतजपबनसंते विजीम वतहंदप्रंजपवदए निदबजपवदे दक कनजपमे मजबण तमुनपतमक
जव इम चनइसपौमक चमत चतवअपेपवदे विनई.मबजपवद ;1द्ध;इद्धविमबण4 वि जीम त्पहीज जव प्दवितरंजपवद
|बजए2005 तमं नदकमतरु.

;द्ध च्ताजपबनसंते वि संइवनत - मउचसवलउमदज कमचंतजउमदजए पजे थनदबजपवदे - कनजपमेण

जीम कमचंतजउमदज पे तमहनसंजवतल पद दंजनतम दक चतपउंतपसल बवदबमतदमक पूजी मदेनतपदह जीम पउचसमउमदजंजपवद विसंइवनत ।बजे; 26 ब्दजतंस - 2 वीजीमैजंमद्व दक वीजीम म्चसवलउमदज म्बाईदहमे ;ब्वउचनसेवतल छवजपपिबंजपवद वीटंबंदबपमेद्व ।बजे1959 दक च्मतेवदे पूजी क्पेइपसपजपमे मुंस व्वचवतजनदपजपमेए च्त्वजमबजपवद वीत्पहीजे दक च्ताजपबपचंजपवदेद्व ।बजे 1995 ण जीम संइवनत पदह वीजीम कमचंतजउमदज पे चतपउंतपसल तमेचवदेपइसम वित पउचसमउमदजंजपवद ध्मदवितबमउमदज विसंइवनत रूँ दक उंपदजंपदपदह प्दकनेजतपंस च्मंबमण जीम थंबजवतल पदह पे सववापदह जिमत जीम त्महपेजतंजपवद वीथंबजवतपमेए म्भसतिम - म्मिजल वीवतामते व्वातापदह पद नबी थंबजवतपमेण जीम म्चसवलउमदज पदह हपअमे म्चसवलउमदज पेजंदबमए चतपउंतपसल जव जीम लवनजीण

जीम दंउमे वीजीम संइवनत ।बजे तम नदकमतरू.

ठवदकमक संइवनत लैजमउ; इवसपजपवद द्द ।बजे 1976

ब्दजतंबज संइवनत; त्महनसंजपवद दक इवसपजपवदद्व ।बजे 1970

बिपसक संइवनत; त्महनसंजपवद दक च्त्तवीपइपजपवदद्व ।बजे 1986

जीम ठनपसकपदह दक व्जीमत ब्ददेजतनबजपवद वतामते ;त्महनसंजपवद वीम्चसवलउमदज दक ब्दकपजपवदे वी म्मतअपबमद्व ।बजे 1996

ब्दम वतामते दक ब्दमउं जीमंजतम वतामते ;त्महनसंजपवद वीम्चसवलउमदजद्व ।बजे1981

जीम ठनपसकपदह दक वीजीमत बवदेजतनबजपवद वतामते भे ।बजे1996

म्चसवलममे च्त्वअपकमदज थनदक दक डपेबमससंदमवने च्त्वअपेपवदे ।बजे 1952

म्चसवलममे जंजम प्देनतंदबम ।बजे 1948

मुंस त्मउनदमतंजपवद ।बजे 1976

थंबजवतपमे ।बजे 1948

प्दकनेजतपंस क्पेचनजम ।बजे 1947

प्दकनेजतपंस म्चसवलउमदज ;जंदकपदह व्त्तकमतेद्व ।बजे 1946

प्दजमतैजंजम डपहतंदज व्ताउंद ;त्महनसंजपवद वीम्चसवलउमदज दक ब्दकपजपवदे वी म्मतअपबमद्व ।बजे 1979

जीम संइवनत रूँ ;म्भामउचजपवद तिवउ नितदपौपदह त्मजनतदे दक डंपदजंपदपदह त्महपेजमते इल बमतजंपद

म्भेइसपौउमदजेद्व ।बजे 1988

डंजमतदपजल इमदमपिज ।बजे 1961

डपदपउनउ हमे ।बजे 1948

डवजवत ज्तंदेचवतज वतामते ।बजे 1961

च्लउमदज वीठवदने ।बजे1965

च्लउमदज वीळतंजनपजल ।बजे 1972

च्लउमदज वीहमे ।बजे 1936

च्संदजंजपवद संइवनत ।बजे 1951

समे च्त्वउवजपवद म्चसवलममे ;ब्दकपजपवदे वी म्मतअपबमद्व ।बजे 1976

ज्तंकम न्दपवदे ।बजे 1926

वतापदह श्रवनतदंसपेजे दक वीजीमत छ्मूचंमते म्चसवलममे ;ब्दकपजपवद वी म्मतअपबम दक डपेबमससंदमवने च्त्वअपेपवदेद्व ।बजे 1955

वताउंद ब्वउचमदंजपवद ।बजे 1923

26 म्चसवलउमदज म्बाईदहमे;ब्वउचनसेवतल छवजपपिबंजपवद वीटंबंदबपमेद्व ।बजे1959

27 च्मतेवदे पूजी क्पेइपसपजपमे ;थनसस च्ताजपबपचंजपवदए मुंस व्वचवतजनदपजपमे - च्त्वजमबजपवद वी त्पहीजेद्व ।बजे1995

उज ।बजे

1 म्भउंबीस च्त्तंकमी वचे - ब्वउमतबपंस म्भेइसपौउमदजे ।बजे1969

2 म्भउप्दकनेजतपंस म्भेइसपौउमदजे ;छंजपवदंस - थ्मेजपअंसे भ्वसपकंलेए षंस - पैबा समंअम द्द ।बजे1969

;प्द च्चूमते दक कनजपमे वी विपिबमते दक म्चसवलममेरू

संइवनत ब्वउउपेपवदमत. बनउ क्पतमबजवत वी म्चसवलउमदज पे सेव जीम बिपमि प्देचमबजवत वी थंबजवतपमेए

त्महपेजतंत वी ज्तंकम न्दपवदेए बिपमि प्देचमबजवत वी वचे दक ब्दबपसपंजपवद वीपिबमत नदकमत प्दकनेजतपंस

क्पेचनजमे ।बजे 1947

जीम कपतमबजवतंजम उवदपजवते जीम वृतापदह वि जीम पिमसक वापिबमे ण्महपेजतंजपवद वि थंबजवतपमे पे कवदम नदकमत जीम थंबजवतपमे ।बजए१९४८ 'दक कपेचनजमे तम तममिततमक जव जीम जूव संड्वनत ब्वनतजे .बनउ.पदकनेजतपंस ज्तपइनदंसे पद भूच्च जौपउसं दक वीतंउीसं नदकमत जीम पदकनेजतपंस कपेचनजमे ।बजए१९४७ए त्महपेजतंजपवद वि ज्तंकम न्दपवदे पे कवदम नदकमत जीम ज्तंकम न्दपवद ।बजए१९२६ त्महपेजतंजपवद वि डवजवत ज्तंदेचवतज पे कवदम नदकमत डवजवत ज्तंदेचवतज ।बज च्त्वेमबनजपवद 'दबजपवदे तम हपअमद जव जीम पिमसक निदबजपवदंतपमे जव संनदबी च्त्वेमबनजपवद हंपदेज जीम कमनिसजमते नदकमत अंतपवने संड्वनत सूं

म्उचसवलमदज पेजेदबम पे च्तवअपकमक जव चीलेपबंससल इंदकपबंचचमक दक चवदेवतपदह वि 'पससमक तमहपेजतंदजे जव च्तपअंजम 'मबजवतए पदेचमबजपवद वि 'नइ.वतकपदंजम वापिबमे दक भेंजइसपीउमदजे पद च्तपअंजम दक च्न्इसपबैमबजवतए

छँट - कन्डपैरु

संड्वनत ब्वउउपेपवदमतरु

संड्वनत ब्वउउपेपवदमत पे निदबजपवदपदह वि बिपमि प्देचमबजवत वि थंबजवतपमेए वीवचे दक ब्वउउमतबपंस भेंजइसपीउमदजे ।बजए १९६९ ण्जेम संड्वनत ब्वउउपेपवदमत पे सेव निदबजपवदपदह वि ब्वदबपसपंजपवद वापिबमत नदकमत जीम पदकनेजतपंस कपेचनजमे ।बजए १९४७ दक त्महपेजतंत ज्तंकम न्दपवदे नदकमत जीम ज्तंकम न्दपवदे ।बजए १९२६ए जीम संड्वनत ब्वउउपेपवदमत सेव निदबजपवदे प्देचमबजवत नदकमत जीम अंतपवने संड्वनत सूं दक जीम अतजपलिपदह वापिबमत नदकमत पदकनेजतपंस म्उचसवलममे ;जंदकपदह त्त्कमतद्ध ।बजए

श्रवपदज संड्वनत ब्वउउपेपवदमतरु

जीम श्रवपदज संड्वनत ब्वउउपेपवदमत पे निदबजपवदपदह वि ।ककपजपवदंस बिपमि प्देचमबजवत वि थंबजवतपमे नदकमत जीम थंबजवतपमे ।बजए१९४८ दक जीम अतजपलिपदह वापिबमत नदकमत पदकनेजतपंस म्उचसवलममे;जंदकपदह त्त्कमतेद्ध ।बजए ।चचमससंजम ।नजीवतपजल नदकमत जीम च्ंलउमदज वि ळतंजनपजल ।बज दक सेव निदबजपवदपदह वि प्देचमबजवत नदकमत अंतपवने संड्वनत सूं दक सेव निदबजपवदपदह वि ब्वदबपसपंजपवद वापिबमत नदकमत जीम पदकनेजतपंस कपेचनजमे ।बजए१९४७ वित वीवसम भूच्च

कमचनजल संड्वनत ब्वउउपेपवदमतरु

जीम कमचनजल संड्वनत ब्वउउपेपवदमत पे निदबजपवदपदह वि कमचनजल बिपमि प्देचमबजवत वि थंबजवतपमे नदकमत जीम थंबजवतपमे ।बजए १९४८ए ।चचमससंजम ।नजीवतपजल नदकमत जीम ब्वदजतंबज संड्वनत ।बज;त- ।द्ध ।बजए१९७०ए त्महपेजमतपदह वापिबमत नदकमत जीम डवजवत ज्तंदेचवतज वतामत ।बजए१९६१ दक सेव निदबजपवदपदह वि प्देचमबजवत नदकमत जीम अंतपवने संड्वनत सूं दक सेव निदबजपवदपदह वि ब्वदबपसपंजपवद वापिबमत नदकमत जीम पदकनेजतपंस कपेचनजमे ।बजए१९४७ वित वीवसम भूच्च

संड्वनत वापिबमते - संड्वनत प्देचमबजवतेरु

संड्वनत वापिबमते दक संड्वनत प्देचमबजवते तम सेव ब्वदबपसपंजपवद वापिबमते वित पदकनेजतपंस कपेचनजमे ण्संड्वनत वापिबमते बज वि ब्वदजतवससपदह नजीवतपजल जव कमबपकम बसपउे वि हतंजनपजल नदकमत च्ंलउमदज वि हमे ।बजए१९७०ए त्महपेजतंजपवद वापिबमते दक सपबमदेपदह वापिबमत नदकमत ब्वदजतंबज संड्वनत ।बज;त- ।द्ध ।बजए१९७० दक प्दजमत जंजम डपहतंदज वताउमद;त्त्द्ध ।बज णैमतम जीमतम तम उवतम जीद २०० वतामते दक संड्वनत वापिबमत पे दवज च्वेजमक पद जीम कपेजतपबजए जीमतम कपेजतपबज म्उचसवलउमदज वापिबमते कपेबीतहम जीम कनजल वि ब्वदबपसपंजपवद वापिबमत जव जतल दक तमेवसअम पदकनेजतपंस

कपेचनजम तपेपदह इमजूममद उंदंहमउमदज दक वूतामतेण जीमल सेव बंततल वनज प्देचमबजपवद विचिइसपब दक च्तापअंजम मबजवत न्दपजेण संड्वनत वीपिबमते दक संड्वनत प्देचमबजवते मदेनतम पउचसमउमदजंजपवद वि संड्वनत ।बजे पदबसनकपदह जीम वीचे तमहपेजतंजपवदए पउचसमउमदजंजपवद वि डपदपउनउ हमे दक वितूतकपदह विबेमे तमहंतकपदह अपवसंजपवद वि चतवअपेपवद वि चंलउमदज वि हूमे एळतंजनपजलए ठवदने जव कपतमबजवतंजम वित वइजंपदपदह चतवेमबनजपवद दबजपवदेण

कमचनजल कपतमबजवत विथंबजवतपमेरु

कमचनजल कपतमबजवत विथंबजवतपमे सववो जिमत त्महपेजतंजपवद विथंबजवतपमे दक मिजल - मूसतिम वि वूतामते वूतापदह जीमतमपदण

मडकचलउमदज मडकचल

।ज जीम कपतमबजवतंजम संड्वनत ब्वउउपेपवदमत.बनउ.कपतमबजवत वि म्चसवलउमदज पे पेजमक इल कमचनजल कपतमबजवत म्चसवलउमदज दक इल म्चसवलउमदज डंतामज प्दवितउंजपवद वीपिबमतए ऐजंजम टवबंजपवदंस ळनपकंदबम वीपिबमतए वीपिबमत पद बीतहम ;चसंबमउमदजद्वए ऐचमबंस म्चसवलउमदज म्वाबीदहम वित चेलेपबंससल म्दकपबंचचमकद्व दक म्चसवलउमदज वीपिबमत ;मदजतंस म्चसवलउमदज म्बससद्वए

त्महपवदंस म्चसवलउमदज वीपिबमते दक कपेजतपबज म्चसवलउमदज वीपिबमते हपअम टवबंजपवदंस ळनपकंदबमए बंतममत ब्वनदेमसपदह दक म्चसवलउमदज पेजंदबम वित रवइे पद च्तापअंजम मबजवत दक ळवअजण मबजवत मूसस वित मस म्चसवलउमदजए जव नेबी चमतेवदे वीव तम तमेपकपदह पद जीमपत जमततपजवतपंस रनतपेकपबजपवदण जीमल सेव पदेचमबज नेइवतकपदंजम म्चसवलउमदज म्वाबीदहमेण च्तापअंजम दक च्चइसपब मबजवत मेजंइसपीउमदजे पद जीमपत कपेजतपबजे तम सेव पदेचमबजमक इल जीमउ दक म्चसवलउमदज वीपिबमतेए नचमतपदजमदकमदज ळतंकम.प दक ऐजंजपेजपबंस पेजंदजेण प्द बीतहमे वी नइ वीपिबम म्चसवलउमदज म्वाबीदहमे तम सेव बंततलपदह वनज जीमेम निदबजपवदे मगबमचज जीज वि पदेचमबजपवदण जीम जूव न्मळटे ज भ्चौपउसं दक बीनकीमतल तूंद ज्ञानउंत म्पउबींस च्त्कमी ।हतपबनसजनतम न्दपअमतेपजल च्चंसउचनत तम हपअपदह अवबंजपवदंस हनपकंदबम उंपदसल जव जीम तमेचमबजपअम न्दपअमतेपजल जेनकमदजेण

;प्पद्व च्त्तवबमकनतम विससवूमक पद कमबपेपवद उांपदह चतवबमे पदबसनकपदह बीददमसे वि नचमतअपेपवद दक बबवनदजंइपसपजलरु ।सस वीपिबमे तम वूतापदह पदकमचमदकमदजसल इनज नदकमत कउपदपेजतंजपअम बवदजतवस वि दमगज पीपहीमत वीपिबमण जीमल बंद सेव इम पदेचमबजमक इल नचमतपवत कमचंतजउमदजंस वीपिबमते ण्जीम वीपिबम वि पेजंदज कपतमबजवत विथंबजवतपमे न्द ए सस न्दपअमतेपजल म्चसवलउमदज प्दवितउंजपवद ळनपकंदबम ठनतमने ए त्महपवदंस म्चसवलउमदज म्वाबीदहमेएकपेजतपबज म्चसवलउमदज म्वाबीदहमे दक वीपिबम वि संड्वनत वीपिबमते तम नकपजमक इल ।ण्ळण्वीपिबम तिवउ जपउम जव जपउमण

;प्टद्व जीम दवतउे मज इल कपेबीतहम विपजे निदबजपवदरु त्महपेजतंजपवद दक तमदमूस वी तमहपेजतंजपवद पद म्चसवलउमदज म्वाबीदहम पे कवदम वद जीम उम कंल दक चवदेवतपदह वी तमहपेजतंदजे पे सेव कवदम पूजीपद बीमकनसमक जपउम ;ळमदमतंससल विनत मूमोद्वए

;टद्ध जीम तनसमेए तमहनसंजपवदेए पदेजतनबजपवदेए उंदनसे दक तमबवतके िमसक इल पज वत नदकमत पजे बवदजतवसरु

ठमपदह तमहनसंजवतल कमचंतजउमदज पज मदेनतमे जीम पउचसमउमदजंजपवद वि जीम ।बजे दक तनसमेद्ध उमदजपवदमक ज तए छवण िमतमपदंइवअम सेव संस तनसमे दक पदेजतनबजपवदे वि भ्यउबींस च्त्कमी ळवअजण चचसपबंइसम वद जीम कमचंतजउमदजेण

;टप्द्ध ँजंजमउमदज वि जीम बंजमहवतपमे वि जीम कवबनउमदजेरु

। ँजंजमउमदज वि जीम बंजमहवतपमे वि जीम कवबनउमदजे जीज तम िमसक इल पज वत नदकमत पजे बवदजतवसण थसमे तमसंजमक जव मदेनतपदह जीम पउचसमउमदजंजपवद जीम ।बजे – तनसमे उमदजपवदमक हंपदेज तएछवण;टद्धीमतमपदंइवअमण ।सेव पिसमे तमसंजमक जव ठनकहमजए च्त्संदए दक ।ददनंस ।कउपदपेजतंजपअम त्मचवतज मजबण

;टप्द्ध जीम चंतजपबनसंते वि दल तंतदहमउमदज जीज मगपेजे वित बवदेनसजंजपवद पूपजीए वत तमचतमेमदजंजपवद इलए जीम उमउइमते वि जीम चनइसपब पद तमसंजपवद जव जीम वितउनसंजपवद वि पजे चवसपबल वत कउपदपेजतंजपवद जीमतमवयि

द्ध ँजंजम ब्बउउपजजमम वद म्उचसवलउमदज दवजपपिमक वद 30ण1ण2006 बवउचतपेपदह वि भ्वदष्टसम म्उचसवलउमदज डपदपेजमत बैपतउंदए 16 डमउइमते दक क्पतमबजवत वि म्उचसवलउमदज डमउइमत म्बतमजंतल पदबसनकमे तमचतमेमदजंजपअमे वि म्उचसवलमते वूवतामते मूमसस चनइसपब तमचतमेमदजंजपअमेण

इद्ध क्पेजतपबज ब्बउउपजजमम वद म्उचसवलउमदज दवजपपिमक वद 30ण1ण2006 बवउचतपेपदह वि तमेचमबजपअम के बैपतउंदए10 उमउइमते दक तमेचमबजपअम त्त्केके डमउइमत म्बतमजंतल पदबसनकपदह तमचतमेमदजंजपअमे वि म्उचसवलमते वूवतामते दक चनइसपब तमचतमेमदजंजपअमेण

बद्ध डपदपउनउ हमे ।कअपेवतल ठवंतक बवदेजपजनजमक वद 1ण9ण2003 बवउचतपेपदह वि बैपतउंदए 37 उमउइमते दक उमउइमत म्बतमजंतल दक बवदेजपजनजमक बवउउपजजमम वद 30ण1ण2004 बवउचतपेपदह वि बैपतउंदए 11 उमउइमते दक उमउइमत म्बतमजंतल

कद्ध माचमतज ब्बउउपजजमम नदकमत ठनपसकपदह दक ब्वदेजतनबजपवद ।बज बवदेजपजनजमक वद 24 म्चए2003 बवउचतपेपदह वि बैपतउंदए9 उमउइमते दक उमउइमत म्बतमजंतल

मद्ध त्महपवदंस ठवंतक वित भ्च त्महपवद नदकमत म् ।बजए1948 िपबी बवदेपेज वि बैपतउंदएटपबम.बैपतउंदए 3 उमउइमतेए मा.वीपिबपव उमउइमतेए 2 म्उचसवलममे त्मचतमेमदजंजपअमए6 म्उचसवलमते ।ककपजपवदंस त्मचतमेमदजंजपअम दक उमउइमत म्बतमजंतलण

द्धि त्महपवदंस ब्बउउपजजमम वित ँजंजम वि भ्च नदकमत म्उचसवलमम च्त्वअपकमदज थनदक बीमउमए 1952 िपबी बवदेपेजे वि बैपतउंदए 2 वापिबपंस उमउइमतेए 5 उमउइमते वि म्उचसवलमते तमचतमेमदजंजपअमए 5 उमउइमते वि म्उचसवलममे तमचतमेमदजंजपअमे

हद्ध जीतमम सवबंस बवउउपजजममे नदकमत त्महपवदंस ठवंतक बवदेजपजनजमक नदकमत म्.ळमदद्धत्महनसंजपवदए1950 बवदेपेजपदह विससवूपदह उमउइमतेरु बैपतउंदए डमउइमत एंइवनत प्देचमबजवतए डमकपबंस वीपिबमतए प्दबींतहम 4 उमउइमते वि थंबजवतल – ठतंदबी डदंहमतए म् ब्वतचवतंजपवदण

ीद्ध ँजंजम समअमस ज्तपचंतजपजम ब्बउउपजजमम िपबी बवदेपेजे वि बैपतउंदए टपबम.बैपतउंदए 14 उमउइमते दक डमउइमत म्बतमजंतलण

पद्धतः 'जंजम' एकअपेवतल ब्दजतंबज सङ्घनत ठवंतक बवदेपेजपदह बिपतउंदए उमउइमते उमउइमत मबतमजंतलण
रद्धतः 'जंजम' सङ्घनत मसतिम ठवंतक बवदेपेजपदह बिपतउंद ; बिपमिडपदपेजमतद्ध112 उमउइमते दक उमउइमत
मबतमजंतलण

टप्पद्धतः । 'जंजम' उमदज विजीम इवंतकए बवनदबपसे बवउउपजजममे दक वजीमत इवकपमे बवदेपेजपदह विजुव वत
उवतम चमतेवेदे बवदेजपजनजमक पजे चंतज वि वत वित जीम चनतचवेम विपजे कअपबमए दक जव जीमजीमत
उममजपदहे विजीवेम इवंतके एबवनदबपसे एबवउउपजजममे दक वजीमत इवकपमे तम वचमद जव जीम चनइसपब
वत जीम उपदनजमे विनिबी उममजपदहे तम बबमेपइसम वित चनइसपबण

उमदजपवदमक हंपदेज पजमउ दव ; अपपद्धीमतमपदंइवम उममजपदहे तम दवज वचमद जव चनइसपब निबी
श्रूमअमतए कनम बंतमी इममद जांमद जव पदअवसअम संस जीमे जांमीवसकमतेण

पद्धतः । कपतमबजवतल विविपिबमते दक म्चसवलममेरु

	छंउम विजीम विपिबमत	कमेपहदंजपवद	विविबम जसमचीवदम छवेण
1ण	विपिण उउपज झीलंचए ए	संघनत बवउउपेपवदमत. बनउ. कपतमबजवत वि म्चसवलउमदजए म्च ण	0177.2625085
2ण	विपिण एण्डेववक	कमचनजल कपतमबजवत थंबजवतपमेए कपतमबजवतजम	0177.2624157
3ण	विपिण नकमी ज्ञनउंत कीपउंद	कमचनजल कपतमबजवत थंबजवतपमेए न्दं	01975.224095
4ण	विपिण एण्डेण्डेनोस	श्रवपदज संघनत बवउउपेपवदमत.1ए कपतमबजवतजम	0177.2624157
5ण	विपिण उउपजक	कमचनजल संघनत बवउउपेपवदमत. ए कपतमबजवतजम	0177.2624305
6ण	विपिण ज्ञतपीद ज्ञनउंत तीतउं	म्चसवलउमदज विपिबमतए ब्दजतंस म्चसवलउमदज अससए दक 'जंजम' टवबंजपवदंस अनपकंदबम विपिबमतीवसकपदह ककपजपवदंस बीतहम वि क्लकपतमबजवत म्चसवलउमदज	0177.2620229
7ण	विपिण उउपज छपतउंस तीतउं	कपेजतपबज म्चसवलउमदज विपिबमतए वसंद	01792.223746
8ण	विपिण उउपज दहममजं अनचजं	कपेजतपबज म्चसवलउमदज विपिबमतए पीउसं	0177.2658174
9ण	विपिण एण्डेण्डेण्डेण्डे	कपेजतपबज म्चसवलउमदज विपिबमतए न्दं	01975.226063
10ण	विपिण अनकण्डेण्डेण्डे	विपिबमत पदबीतहम असंभउमदज ; विलेपबंससल भंदकपबंजचमक अससद्ध दक म्चसवलउमदज उंतामज पदवितउंजपवद विपिबमतए	0177.2625277
11ण	विपिण श्रवहपदकमत पदही च्जपंस	कपेजतपबज म्चसवलउमदज विपिबमतए ज्ञंदहंत	01892.224892
12ण	विपिण एण्डेण्डेण्डे	कपेजतपबज म्चसवलउमदज विपिबमतए भंउपतचनत	01972.222318
13ण	विपिण ल्वह तं	कपेजतपबज म्चसवलउमदज विपिबमतए ज्ञमलसवदह	01900.222252
14ण	विपिण भंतप तं	कपेजतपबज म्चसवलउमदज विपिबमतए ज्ञनससन	01902.222522
15ण	विपिण उंदउवीद पदही	कपेजतपबज म्चसवलउमदज विपिबमतए त्मावदह. चव	01786.222291
16ण	विपिण च्तमउ पदही बीउलंस	ककपजपवदंस बीतहम वि कपेजतपबज म्चसवलउमदज विपिबमतए बीउइं	01899.222209
17ण	विपिण श्रैण्डेण्डेण्डेण्डे ; संघनत विपिबमतद्ध	ककपजपवदंस बीतहम वि कपेजतपबज म्चसवलउमदज विपिबमतए उपसंघनत	01978.222450
18ण	विपिण एण्डेण्डेण्डेण्डे पदही ; संघनत विपिबमतद्ध	ककपजपवदंस बीतहम वि कपेजतपबज म्चसवलउमदज म्बाबीदहमए पतउवनत ज	01702.222274

		छींद	
19ण	ण डंद बैदक जीनत	मउचसवलउमदज वीपिबमतए डंदकप	01905.235508
20ण	ण त्चदं	संइवनत वीपिबमतए त्मबावदह च्मव	01786.222007
21ण	ण तंर ज्ञनउंत	संइवनत वीपिबमतए वींतउींसं	01892.223745
22ण	ण च्मउपदही बैउइलंस	संइवनत वीपिबमतए बैउइं	01899.223233
23ण	ण च्चंतंजचैपदही टमतउं	संइवनत वीपिबमतए वसंद	01792.235542
24ण	ण तंरमौ च्दहींदपं	संइवनत वीपिबमतए ज्ञनससन	01902.223698
25ण	ण दनतंहौतउं	संइवनत वीपिबमतए डंदकप	01905.225329
26ण	ण श्रंजपदकमतपदही ठपदकतं	संइवनत वीपिबमतए ठपसंचनत	01978.221516
27ण	ण डनदपी ज्ञंतवस	संइवनत वीपिबमतए न्दं	01975.224243
28ण	ण च्चतंद बैदक	संइवनत वीपिबमतए ठंककप	01795.271210
29ण	ण बैदकमत डंदपीतउं	संइवनत वीपिबमतए तंउचनत	01782.234286
30ण	ण तंरपदकमतपदही	संइवनत वीपिबमतए पतउवनत ज छींद	01702.226144
31ण	ण च्चलंतम रंस	संइवनत वीपिबमतए पउसं वदमए पउसं	0177.2624706

गृद्ध जीम उवदजीसल तमउनदमतंजपवद तमबमपअमक इल मंबी विपजे विपिबमते दक मउचसवलममे पदबसनकपदह जीम लेजमउ विबवउचमदेंजपवद चतवअपकमक पद पजे तमहनसंजपवदेण

व्येज	च्ल बैसम
संइवनत ब्बउउपेपवदमत.बनउ.वपतमबजवत विसुचसवलउमदजए पण	37400670008700 लण्च
कमचनजल वपतमबजवत विश्वजवतपमे	15600.391007800 लण्च
श्रवपदज संइवनत ब्बउउपेपवदमत	15600.391006600 लण्च
कमचनजल संइवनत ब्बउउपेपवदमत	10300.348005400 लण्च
कमचनजल वपतमबजवत विसुचसवलउमदज	10300.348005400 लण्च
वपेजतपबज मउचसवलउमदज वीपिबमते	10300.348005400 लण्च
त्महपवदंस मउचसवलउमदज वीपिबमते	10300.348005000 लण्च
नचमतपदजमदकमदज लतंकम.प	10300.348005400 लण्च
संइवनत वीपिबमते	10300.348004400 लण्च
मउचसवलउमदज वीपिबमते	10300.348004400 लण्च
सूं वीपिबमत	10300.348004200 लण्च
नचमतपदजमदकमदज लतंकम.प	10300.348004800 लण्च
चमतेवदंस पेजंदज	10300.348004800 लण्च
मदपवत बैसम जमदवहतंचीमत	10300.348004400 लण्च
जंजपेजपबंस पेजंदज	10300.348003800 लण्च
मदपवत पेजंदज	10300.348004400 लण्च
संइवनत प्देचमबजवते	10300.348004200 लण्च
ब्वउचनजमत व्यमतंजवत	10300.348003200 लण्च
श्रनदपवत पेजंदज	10300.348003600 लण्च

श्रनदपवत बंसम जमदव	10300.348003200 ळण्च
क्तपअमत	5910.202002000 ळण्च
जमदव.जलचपेज	5910.202002000 ळण्च
बसमता	5910.202001900 ळण्च
वजितप	4900.106801400 ळण्च
चमवदए बैवूपकंत - ममचमत	4900.106801300 ळण्च
थती	4900.106801300 ळण्च

;गुद्व जीम इनकहमज ससवबंजमक जव मंबी विपजे हमदबलए पदकपबंजपदह जीम चंतजपबनसंते विसस चसंदे एचतवचवेमक मगचमदकपजनतमे दक तमचवतजे वद कपेइनतेमउमदज उंकमय

जंदकंतक व्हरमबज विमाचमदकपजनतम पूमे इनकहमज पे ससवबंजमक जव मंबी कतूपदह दक कपेइनतेपदह विपिबमत दक मगचमदकपजनतमे पे तमहनसंतसल उवदपजवतमकण

;गुद्व जीम उंददमत विमगमबनजपवद विनिइपकल चतवहतंतउउमेए पदबसनकपदह जीम उवनदज ससवबंजमक दक जीम कमजंपसे इमदमपिबपंतपमे विनिबी चतवहतंतउउमेय छवज चचसपबंइसमण

;गुद्व चंतजपबनसंते वितमबपचपमदजे विबवदबमेपवदेए चमतउपजे वत नजीवतप्रंजपवद हतंदजमक इल पजय छवज चचसपबंइसमण

;गुद्व कमजंपसे पद तमेचमबज विजीम पदवितउंजपवद अपंसइसम जव वत मसक इल पजए तमकनबमक पद द मसमबजतवदपब वितउय

त्महपेजतंजपवद तमबवतक वित्महपवदंस म्चसवलउमदज म्बीदहमौपउसंए त्महपेजतंजपवद तमबवतक विभदजतंस म्चसवलउमदज म्सस ज कपतमबजवतंजम ए संतल कपेइनतेमउमदज ज कपतमबजवतंजमण

;गुद्व जीम चंतजपबनसंते विबिपसपजपमे अपंसइसम जव बपजप्रमदे वित वइजंपदपदह पदवितउंजपवदए पदबसनकपदह जीम वृतापदह वि सपइतंतल वत तमंकपदह तववउए पिउंपदजंपदमकए वित चनइसपब नेमण्य

जीम विपिबमे विजीम कमचंतजउमदज तम वचमद जव बपजप्रमदे वित वइजंपदपदह पदवितउंजपवद वद सस वृतापदह कंलेए मेचमबपंससल वद सस वृतापदह डवदकंले म्मद विपिबमते तम अपंसइसम वित उममजपदह जीम बपजप्रमदेण

;गुद्व जीम दंउमेए कमेपहदंजपवदे दक वजीमत चंतजपबनसंते विजीम च्इसपब पदवितउंजपवद विपिबमतेय

छंउम विक्मचंतजउमदजरू संइवनत - म्चसवलउमदजए म्पुंबीस च्कंकमौ

कमजंपस विच्छ - चचमससंजम नजीवतपजल

।	छंउम विजीम च्छ	कमेपहदंजपवद	ब्वउचसमजम विपिबम ककतमे	विपिबम जमसमचीवदम छवेण
1ण	णैण णैणवक	कमचनजल कपतमबजवत थंबजवतपमे	कपतमबजवतंजम वि संइवनत - म्चसवलउमदजण छमू म्पउतने ठनपसकपदहए म्ण्छौपउसं.1	0177.2424157
2ण	णैण ज्ञतपींद ज्ञनउंत णैतउं	कपेजतपबज म्चसवलउमदज विपिबमत	कपतमबजवतंजम वि संइवनत - म्चसवलउमदजण छमू म्पउतने ठनपसकपदहए म्ण्छौपउसं.1	0177.2620229
3ण	णैण णैणज्जैनीस	श्रवपदज संइवनत ब्वउउपेपवदमत.ए	कपतमबजवतंजम वि संइवनत - म्चसवलउमदजण छमू म्पउतने	0177.2624157

			ठनपसकपदहए भ्च्छीपउसं.1	
4ण	शीण ज्ञ त्रक	कमचनजल संइवनत बउउपेपवदमत	कपतमबजवतंजम वि संइवनत - मउचसवलउमदजण छमू भ्पउतने ठनपसकपदहए भ्च्छीपउसं.1	0177.2624157
5ण	शीण ज्ञतपीद ज्ञनउतं तितउं	कपेजतपबज मउचसवलउमदज वीपिबमत	कपतमबजवतंजम वि संइवनत - मउचसवलउमदजण छमू भ्पउतने ठनपसकपदहए भ्च्छीपउसं.1	0177.2620229
6ण	उजण छपतउंसं तितउं	कपेजतपबज मउचसवलउमदज वीपिबमत	कपेजतपबज मउचसवलउमदज माबींदहमएवसंद	01792.223746
7ण	उजणैदहममजं ठनचजंण	कपेजतपबज मउचसवलउमदज वीपिबमत	त्महपवदंस मउचसवलउमदज माबींदहमएनैण्बसनइए शीपउसं	0177.2658174
8ण	शीण ल्ळजंजवबी	कपेजतपबज मउचसवलउमदज वीपिबमत	कपेजतपबज मउचसवलउमदज माबींदहमए न्दं	01975.226063
9ण	शीण ल्ळण्णजंसजंण	कपेजतपबज मउचसवलउमदज वीपिबमत	कपतमबजवतंजम वि संइवनत - मउचसवलउमदजण छमू भ्पउतने ठनपसकपदहए भ्च्छीपउसं.1	0177.2625277
10ण	शीण श्रवहपदकमत पदही चंजपंस	कपेजतपबज मउचसवलउमदज वीपिबमत	त्महपवदंस मउचसवलउमदज माबींदहमए कींतउंसंण	01892.224892
11ण	शीण ल्वह त्र कीपउं	कपेजतपबज मउचसवलउमदज वीपिबमत	कपेजतपबज मउचसवलउमदज माबींदहमए रुं	01900.222252
12ण	शीण टण्णत्तंदं	कपेजतपबज मउचसवलउमदज वीपिबमत	कपेजतपबज मउचसवलउमदज माबींदहमए भउपतचनत	01972.222318
13ण	शीण भंतप तंउ	नचमतपदजमदकमदज ळतंकम.ण दक ीवसकपदह जीम बींतहम वि कपेजतपबज मउचसवलउमदज वीपिबमत	कपेजतपबज मउचसवलउमदज माबींदहम ज्ञानससनण	01902.222522
14ण	शीण डंदउवीद पदही	ककपजपवदंस बींतहम वि कपेजतपबज मउचसवलउमदज वीपिबमत	कपेजतपबज मउचसवलउमदज माबींदहमए ज्ञापददंनत	01786.222291
15ण	शीण च्तमउ पदही बींउइपंस	ककपजपवद19ंस बींतहम वि कपेजतपबज मउचसवलउमदज वीपिबमत	कपेजतपबज मउचसवलउमदज माबींदहमए बींउइंण	01899.222209
16ण	शीण श्रंजपदकमत पदही ठपदकतं ;संइवनत वीपिबमतद्ध	ककपजपवदंस बींतहम वि कपेजतपबज मउचसवलउमदज वीपिबमत	कपेजतपबज मउचसवलउमदज माबींदहम ए ठपसंचनतण	01978.222450
17ण	शीण त्रपदकमत पदही ;संइवनत वीपिबमतद्ध	ककपजपवदंस बींतहम वि कपेजतपबज मउचसवलउमदज वीपिबमत	कपेजतपबज मउचसवलउमदज माबींदहम छींद	01702.222274
18ण	शीण डंद बींदक जींनत	मउचसवलउमदज वीपिबमत ीवसकपदह जीम ककपजपवदंस बींतहम वि कपेजतपबज मउचसवलउमदज	त्महपवदंस मउचसवलउमदज माबींदहम एडंदकप	01905.235508

19	श्रीगणेशाय नमः	संज्ञवन्त वीपिबमतए त्मबावदह चमव	संज्ञवन्त वीपिबमए ज्ञापददन्त ज त्मबावदह चमव	01786.222007
20	श्रीगणेशाय नमः	संज्ञवन्त वीपिबमतए वीतंतीसं	संज्ञवन्त वीपिबमए वीतंतीसं	01892.225329
21	श्रीगणेशाय नमः	श्रीगणेशाय नमः वीतंतीसं	कपेजतपबज म्चसवलउमदज म्बावीदहमए बैउइण	01899.222209
22	श्रीगणेशाय नमः	संज्ञवन्त वीपिबमतए वैसंद	संज्ञवन्त वीपिबमए वैसंद	01792.230745
23	श्रीगणेशाय नमः	नचमतपदजमदकमदज ळतंकम.प दक ीवसकपदह जीम वीतंतीसं वीपिबमतए म्चसवलउमदज वीपिबमत	कपेजतपबज म्चसवलउमदज म्बावीदहम ज्ञानससनण	01902.222522
24	श्रीगणेशाय नमः	संज्ञवन्त वीपिबमतए डंदकप	संज्ञवन्त वीपिबमए डंदकप	01905.235542
26	श्रीगणेशाय नमः	संज्ञवन्त वीपिबमतए न्दं	संज्ञवन्त वीपिबमए न्दं	01975.224243
27	श्रीगणेशाय नमः	संज्ञवन्त वीपिबमतए ठंककप	संज्ञवन्त वीपिबमए ठंककप	01795.271210
28	श्रीगणेशाय नमः	संज्ञवन्त वीपिबमतए त्तुचनत	संज्ञवन्त वीपिबमए त्तुचनत	01782.234286
29	श्रीगणेशाय नमः	संज्ञवन्त वीपिबमतए पतउवनत ज छींद	कपेजतपबज म्चसवलउमदज म्बावीदहम छींद	01702.222274
30	श्रीगणेशाय नमः	संज्ञवन्त वीपिबमतए पुसं	संज्ञवन्त वीपिबमएपुसं भ्यउतने ठींदएभ्यु पुसं	0177.2624706

उपचयमसंजम नजीवतपजल

1	श्रीगणेशाय नमः	संज्ञवन्त ब्यउउपेपवदमत.बनउ. कपतमबजवत वी म्चसवलउमदजए भ्यु	छमू भ्यउतने ठींदपुसं.171001	0177.2625085
---	----------------	--	-----------------------------	--------------

श्रीगणेशाय नमः वीपिबमत पदवितउंजपवद उंल इम चतमेवतपइमकय दक जीमतमंजिमत नचकंजम जीवेम चनइसपबंजपवदे

मअमतल लमंतण

श्रीगणेशाय नमः कपतमबजवत ज पे पेनमक मअमतल थपदंदबपंस लमंतण

कः

संज्ञवन्त ब्यउउपेपवदमत.बनउ.
कपतमबजवत वी म्चसवलउमदजए भ्यु

मदकेजण्छवसूतंतु;त्तैजीइ11१05.1 कंजमक पुसं.171001 श्रनदमए 2013ण

ब्यचल वितूतकमक जव जीम विससवूपदह वित पदवितउंजपवद दक दमबमैतल बजपवदरु

1ण जीम क्तापदबपचंसैमबतमजंतल ;संज्ञवन्त – म्चसवलउमदजइ जव जीम ळवअजण वी भ्युपुसं.2

2ण जीम क्तापदबपचंसैमबतमजंतल ; इइ जव जीम ळवअमतदउमदज वी भ्युपुसं.2ण

3ण असस जीम भंमक वी कमचंतजउमदजे पद भ्यउंबीस चंकमौण

4ण असस जीम बवदबमतदमक वीपिबमते पद जीम संज्ञवन्त – म्चसवलउमदज कमचंतजउमदजए भ्यु

5ण असस वीपिबमते पद जीम कपतमबजवतंजम वी संज्ञवन्त – म्चसवलउमदजए भ्यु

6ण |सस जीम कमचनजल ब्उउपेपवदमते पद भ्ण्
7ण जेम कपतमबजवत पदवितउंजपवद ज्मबीदवसवहलएौपउसं.171009
8ण छवजपबम ठवंतकण

कध.
संइवनत ब्उउपेपवदमत.बनउ.
कपतमबजवत वम्उचसवलउमदजए भ्ण्

श्रम एवं रोज़गार विभाग के अर्न्तगत बनाये जा रहे भवनों का विवरण:
श्रम एवं रोज़गार विभाग, हिमाचल प्रदेश के अधीन 109 कार्यालय कार्यरत हैं।

(क) विभागीय 23 कार्यालय जो सरकारी भवनों में हैं:

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरण षिमला तथा धर्मषाला, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय मण्डी तथा षिमला, विष्णुविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो षिमला एवं पालमपुर जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा, तथा रिकांग-पीओ, श्रम अधिकारी कार्यालय मण्डी, बद्दी तथा रामपुर बुषैहर, श्रम निरीक्षक कार्यालय रामपुर बुषैहर, मण्डी, परवाणु, नालागढ, बद्दी, तथा पांवटा साहिब एवं उप रोज़गार कार्यालय रामपुर बुषैहर, नालागढ, भरमौर, डोडरा-क्वार, काज़ा एवं चिड़गांव।

(ख) विभागीय 48 कार्यालय जो विभागीय भवनों में हैं:

श्रम एवं रोज़गार निदेशालय षिमला, उप-निदेशक कारखाना षिमला, उप-निदेशक कारखाना ऊना, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय धर्मषाला, जिला रोज़गार कार्यालय ऊना, बिलासपुर, नाहन, कुल्लु, श्रम कार्यालय धर्मषाला, बिलासपुर, कुल्लू एवं श्रम निरीक्षक कार्यालय, धर्मषाला, बिलासपुर, कुल्लु,

अम्ब, सुन्दरनगर, पालमपुर, देहरा, नूरपुर व नाहन तथा उप-रोज़गार कार्यालय पांगी, तीसा, अम्ब, सराहां, गोहर, बैजनाथ, पालमपुर, देहरा, इन्दौरा, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, सुन्दरनगर, पूह, संगड़ाह, सुजानपुर टिहरा, ज्वाली, राजगढ़, चुवाडी फतेहपुर एवं चौपाल, नालागढ़ एवं श्रम निरीक्षक कार्यालय नालागढ़ व जिला रोज़गार कार्यालय/श्रम कार्यालय एवं श्रम निरीक्षक कार्यालय, सोलन हैं।

(ग) विभागीय 1 कार्यालय जो निर्माणाधीन हैं:

प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्थित कार्यालयों के लिए विभाग द्वारा विभागीय भवन बनवाने का कार्य किया गया है। इनमें उप-रोज़गार कार्यालय उदयपुर।

शेष कार्यालय निजी भवनों में स्थित हैं।